अध्याय 3
पेटेन्ट अधिनियम, 1970
The Patent Act , 1970

परिचय
(Introduction)

बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, किसी निश्चित अवधि के लिए किसी आविष्कार का उपयोग करने, बेचने या निर्माण करने के लिए किसी को विशेष अधिकार प्रदान करना। एक पेटेंट एक शब्द है जिसका उपयोग कई शताब्दियों के लिए किया गया है, और भौतिक आविष्कारों और बौद्धिक संपदा दोनों पर लागू होता है।

एक पेटेंट किसी उत्पाद को बनाने और बेचने का अधिकार नहीं देता है; बल्कि दूसरों को अपने स्वयं के मौद्रिक लाभ के लिए एक आइटम या अपनी खुद की बौद्धिक संपदा के एक टुकड़े के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। एक पेटेंट के लिए समय अवधि भिन्न होती है लेकिन आमतौर पर वस्तु या संपत्ति के आविष्कार के समय से बीस वर्ष होती है।

किसी समय के लिए आविष्कार करने, बनाने या बेचने से दूसरों को रखने के तरीके के रूप में आविष्कारकों को सरकारें पेटेंट प्रदान करती हैं। यह आविष्कारकों के बौद्धिक अधिकारों और गुणों की रक्षा करने का एक तरीका है, और यह सुनिश्चित करता है कि दूसरों को उनके काम और प्रयासों के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है।

एक बार पेटेंट को एक आविष्कार पर जारी किया जाता है, यह उस आविष्कार को आविष्कारक की एकमात्र संपत्ति बनाता है, और संपत्ति के किसी अन्य रूप की तरह इसे पटटे पर दिया जा सकता है, किराए पर लिया जा सकता है, और यहां तक कि एकमुश्त बेचा जा सकता है। पेटेंट प्रकृति में क्षेत्रीय हैं, इसलिए यूके पेटेंट केवल यूके में धारकों को अधिकार देता है, जबकि अमेरिकी पेटेंट यूएस पेटेंट कानून में धारकों को अधिकार देते हैं, क्षेत्राधिकार से क्षेत्राधिकार में भिन्न हो सकते हैं। पेटेंट के बारे में निम्नलिखित जानकारी यूके के कानून पर लागू होती है;

पेटेंट शब्द का विकास लैटिन भाषा के शब्द 'लेटर्स पेटेंट' से हुआ है जिसका अर्थ है 'खुले पत्र' ये खुले पत्र एक तरह के विशेषधिकार–पत्र होते थे जो राजाओं या शासकों द्वारा खुली घोषणा के तौर पर सार्वजनिक रूप से किसी नए स्थान की खोज आदि के लिए जारी किए जाते थे बाद में 15वीं शताब्दी में वियाना सीनेट द्वारा किसी आविष्कार के लिए पेटेंट का विशेषाधिकार दिए जाने की व्यवस्था लागू की गई बहुत जल्द ही यह व्यवस्था पूरे यूरोप में फैल गई यू.एस.ए. में विज्ञान एवं कलाओं के संरक्षण एवं विकास के उददेश्य से पहला पेटेंट कानून 1790 में बना.भारत में पेटेंट–व्यवस्था ब्रिटिश–शासन के साथ आई आधुनिक समय में पेटेंट किसी आविष्कृत नए उत्पाद या प्रक्रिया पर आविष्कारक को दिया जाने वाला बौद्धिक सम्पदा–अधिकार है ऐसे निर्धारित अवधि वाले एकाधिकार के तहत वह अपने आविष्कार में आई लागत को वसूलने तथा उस आविष्कार से आर्थिक लाभ कमाने में सक्षम होता है ऐसा इसलिए जरूरी समझा गया ताकि लोगों को तथा औद्योगिक कंपनियों आविष्कार के लिए प्रेरित किया जा सके। सामान्यतः किसी नए आविष्कार में एक लम्बा समय लगता हैः उच्च तकनीक वाले इस समय में किसी आविष्कार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों तथा सामानों की लागत भी काफी ज्यादा आती है इसलिए पेटेंटों के जरिए आविष्कारकों को इस प्रकार का संरक्षण देना तथा उन्हें एक समुचित अवधि के लिए नए उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के वणिज्यिक दोहन का एकाधिकार देना आधुनिक शासकीय व्यवस्था का एक प्रमुख दायित्व बन गया है।

भारतीय पेटेंट पद्धति के बारे में संक्षिप्त विवरण

भारत में पेटेंट से संबंधित प्रथम विधान 1856 का अधिनियम IV था। इस विधान का उददेश्य नवीन एवं उपयोगी वस्तुओं के आविष्कार को उत्साहित करना तथा आविष्कारकों को उनके आविष्कारों के रहस्य बताने के लिए राजी करना था। इस अधिनियम को बाद में 1857 के अधिनियम IX द्वारा निरस्त कर दिया गया क्योंकि इस ब्रिटिश राज्य की स्वीकृति के बिना लागू किया गया था। 1859 में 'अनन्य' विशेषाधिकार अनुदान करने हेतु एक नया विधान 1859 के अधिनियम XV के रूप में प्रांरम्भ किया गया। इस विधान में पूर्ववर्ती विधान के कुछ संशोधन शामिल थे, जैसे, केवल उपयोगी आविष्कारों को ही अनन्य विशेषाधिकार अनुदान तथा प्रायिकता अवधि का 6से12 माह तक विस्तार। इस अधिनियम में आयातकों को आविष्कारक की परिभाषा से अलग कर दिया गया। 1856 का अधिनियम 1852 के युनाइटेड किंगडम अधिनियम पर आधारित था जिसमें कुछ अंतर भी थे जैसे कि समनुदेशिती को भारत में आवेदन करने की अनुमति एवं नवीनता सुनिश्चित करने के उददेश्य से भारत अथवा यूनाइटेड किंगडम में आम उपयोग अथवा पूर्व प्रकाशन करना।

1872 में 1859 के अधिनियम को एकीकृत किया गया ताकि अभिकल्प से संबंधित संरक्षा प्रदान की जा सके। इसे 1872 के अधिनियम XIII के तहत ''पैटर्न्स'' एण्ड डिजाइन्स प्रोटेक्शन एक्ट'' के रूप में पुनर्नामित किया गया। पुनः 1872 के अधिनियम को 1883 में (1883 के अधिनियम XVI) द्वारा संशोधित किया गया जिसमें आविष्कार की नवीनता की संरक्षा का प्रावधान शामिल किया गया जो उनकी संरक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने के पहले भारत की प्रदर्शनियों में दिखाया गया था। ऐसी प्रदर्शनी के प्रारम्भ होने की तारीख के बाद ऐसे आवेदन दाखिल करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त का प्रावधान था।

यह अधिनियम लगभग 30 वर्षों तक बिना किसी परिवर्तन के प्रभावी रहा किन्तु वर्ष 1883 में यूनाइटेड किंगडम के पेटेंट कानून में कुछ संशोधन किए गए एवं यह माना गया कि उन संशोधनों को भारतीय कानून में भी शामिल किया जाना चाहिए। 1888 में यूनाइटेड किंगडम कानून में किए गए संशोधनों के अनुरूप आविष्कार तथा अभिल्प संबंधी कानून को एकीकृत तथा संशोधित करने के लिए नया विधान प्रस्तुत किया गया।

पेटेंट और डिजाइन के पूर्व के सभी विधानों को बदलते हुए भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 (1911 का अधिनियम।।) लाया गया। इस अधिनिमय ने पहली बार पेटेंट प्रशासन को नियत्रंक, पेटेंट के प्रबंधन के अधीन ला दिया। 1920 में इस अधिनियम में संशोधन कर सुरक्षा प्रायिकता के लिए यूनाइटेड किंगडम तथा अन्य देशों के साथ परस्पर समझौता में शामिल हाने का प्रावधान किया गया। 1930 में, अन्य बातों के अतिरिक्त, गुप्त पेटेंट अनुदान, अतिरिक्त पेटेंट, सरकार द्वारा आविष्कार के उपयोग, पेटेंट रजिस्टर में संशोधन करने की नियंत्रक की शक्ति तथा पेटेंट अवधि को बढ़ाकर 14 से 16 वर्ष करने संबंधी प्रावधानों को शामिल करने हेतु पुनः संशोधन किए गए। 1945 में नौ महीनों के भीतर औपबंधिक विनिर्देश दाखिल करने तथा पूर्ण विनिर्देश प्रस्तुत करने के लिए अन्य संशोधन किए गए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन अधिनियम,1911 अपने उददेश्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन के मद्देनजर विस्तृत पेटेंट कानून लागू करने की आवश्यकता समझी गई। तदनुसार,सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय हितों के अनुरूप पेटेंट प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत के पेटेंट कानून की समीक्षा करने हेतु लाहौर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति (डॉ) बक्शी टेक चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के विचारार्थ मुद्दों में शामिल थेः–

– भारत की पेटेंट प्रणाली की कार्यविधि की समीक्षा करना एवं रिपोर्ट देनाः
– भारत में विद्यमान पेटेंट विधान का परीक्षण तथा उसमें सुधार करने के लिए संस्तुति करना, विशेषकर पेटेंट अधिकारों के दुरूपयोग को रोकने संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में;

– खाद्य और औषधि से संबंधित पेटेंट पर विशेष प्रतिबंध लगाए,जाने के विकल्पों पर विचार करना;
– पेटेंट एजेंट के व्यवसाय को नियंत्रित करने की इच्छा अथवा अनिच्छा पर विचार करना;
– पेटेंट कार्यालय की कार्यपद्धति तथा आम जनता को प्रदान करने वाली सेवाओं का परीक्षण तथा इसके संवर्धन हेतु उपयुक्त संस्तुति देना; तथा
– पेटेंट प्रणाली तथा पेटेंट साहित्य विशेषकर भारतीय आविष्कारकों द्वारा प्राप्त पेटेंट के संबंध में प्रभावी प्रचार सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव देना;
– एक राष्ट्रीय पेटेंट ट्रस्ट के गठन की आवश्यकता तथा औचित्य पर विचार करना;

समिति ने 4 अगस्त, 1949 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 1919 तथा 1949 के यूनाइटेड किंगडम अधिनियम के तर्ज पर भारत में पेटेंट अधिकार के दुरूपयोग रोकने तथा पेटेंट व डिजाइन अधिनिमय,1911 की धारा 22,23 तथा 23(क) में संशोधन करने की सिफारिश की। समिति ने यह भी पाया कि खाद्य और औषधि और शल्य चिकित्सा और निदान उपकरण पेटेंटग्राही को युक्तिसंगत प्रतिकर देने के अनुरूप आम जनता को सस्ते मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पेटेंट अधिनियम में स्पष्ट संकेत होन चाहिए।

समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के आधार पर आविष्कारों तथा अनिवार्य लाइसेंस/निरसन के कार्य के संदर्भ में 1911 के अधिनियम को 1950 (1950 का XXXII अधिनियम) में संशोधित किया गया। अन्य प्रावधान सरकार द्वारा कि आवेदन पर 'अधिकार का लाइसेंस' शब्द के साथ पेटेंट के पृष्ठांकन से संबंधित था ताकि नियंत्रक लाइसेंस अनुदान कर सके। 1952 में(1952 के अधिनियम LXX) द्वारा खाद्य एवं औषधियों,कीटनाशक,जर्मीसाइड या फंगीसाइड तथा वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया अथवा शल्य चिकित्सकीय या रोग–निदान उपकरणों से संबंधिति किसी आविष्कार के संदर्भ में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक संशोधन किया गया। अनिवार्य लाइसेंस केंद्रीय सरकार की अधिसूचना पर भी उपलब्ध था। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1953 में संसद में एक बिल (1953 का बिल सं 59) प्रस्तुत किया गया। हालांकि सरकार ने इस बिल पर विचार करने का दबाव नहीं डाला और इसे समाप्त होने दिया गया।

1957 में भारत सरकार ने पेटेंट कानून में संशोधन के प्रश्न का परीक्षण करने तथा सरकार को तदनुरूप सुझाव देने हेतु न्यायमूर्ति एन. राजगोपालन अयंगर समिति नियुक्त की। समिति की दो खंडों की रिपोर्ट सितंबर 1959 में दाखिल हुई। प्रथम खंड में पेटेंट कानून के सामान्य संदर्भों का विवरण था तथा द्वितीय खं डमें 1953 के व्यपगत बिल के कई उपबंधों पर विस्तृत टिप्पणी दी गई थी। प्रथम खंड में पेटेंट प्रणाली के दुर्गुणों और समाधान के वर्णन के साथ–साथ कानून के संदर्भ में सिफारिशें की गई हैं। समिति ने पेटेंट प्रणाली की कमियों के बावजूद इसे बनाए रखने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट ने कानून में मुख्य बदलावों की सिफारिश की जो पेटेंट बिल 1965 की प्रस्तावना का आधार बना। यह बिल लोकसभा में 21 सितंबर 1965 को पेश किया गया जो, हालांकि,व्यपगत हो गया। 1967 में एक संशोधित बिल पेश किया गया जिसे संयुक्त संसदीय समिति को प्रेषित किया गया था एवं समिति की अंतिम अनुसंशा के आधार पर पेटेंट अधिनियम 1970 पास किया गया। इस अधिनियम में पेटेंट कानून के संदर्भ में 1911 के अधिनियम को निरस्त एवं प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 1911 का अधिनियम डिजाइन पर लागू रहा। 1970 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधान 20 अप्रैल 1972 को पेटेंट नियम 1972 के प्रकाशन के साथ प्रभावी हुए। पेटेंट अधिकार की अवधि 20 वर्ष की रखी गई।

यह अधिनियम दिसंबर 1994 तक 24 वर्षों के लिए बिना किसी परिवर्तन के प्रभाव में रहा। अधिनियम में कुछ परिवर्तन लाने वाला एक अध्यादेश 31 दिसंबर 1994 को जारी किया गया, 6 महीने के पश्चात जिसका कार्य समाप्त हो गया है। इस अध्यादेश के स्थान पर बाद में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 1999 लाया गया जो भूतलक्षी प्रभाव से पहली जनवरी 1995 से लागू हूआ। संशोधित अधिनियम में भेषज,दवाओं तथा जैव रसायन के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट हेतु आवेदन दाखिल करने का प्रावधान था जबकि ऐसे पेटेंट अनुमल्य नहीं किए जा सके। हालांकि,ऐसे आवेदनों का परीक्षण केवल 31 दिसंबर,2004 के बाद की होना था। इस बीच कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद आवेदक को भारत में इन उत्पादों के विक्रय अथवा वितरण का अनन्य विपणन अधिकार (ईएमआर) अनुमतता किया जा सकता था।

पेटेंट (संशोधन) अधिनियम,2002 (2002 का 38वां अधिनियम) द्वारा 1970 के अधिनियम में दूसरा संशोधन किया गया। यह अधिनियम पूर्व विद्यमान पेटेंट नियम,1972 के स्थान पर नए पेटेंट नियम,2003 की प्रस्तुति के साथ 20 मई 2003 से लागू हुआ।

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश,2004 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2005 के प्रभाव से पेटेंट अधिनियम,1970 में तीसरा संशोधन प्रस्तुत किया गया। बाद में दिनांक 4 अप्रैल 2005 को पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 15) द्वारा यह अध्यादेश प्रतिस्थापित हुआ तथा पहली जनवरी 2005 से लागू हुआ।

पेटेन्ट (Patent) का अर्थ एवं परिभाषा

पेटेन्ट (Patent)– ''पेटेन्ट'' शब्द की उत्पत्रि लैटिन भाषा के ''पैटीयर'' (Patent) शब्द से हुई है। पेटेन्ट शब्द ''लेटर्स पेटेन्ट'' (Letters Patent) का संक्षिप्त रूप है, जिसका आशय सम्प्रभु शक्ति द्वारा एक आविष्कारक को उसके आविष्कार को सीमित अवधि के लिए बनाने, उपयोग करने और विक्रय करने के अनन्य अधिकार के रूप में कुछ अधिकार प्रदान करने वाले लिखित अथवा मुद्रित विलेख से है। अर्थात पेटेन्ट एक अधिकार के रूप में अनुदत्र किया जाने वाला राज्य अनुदान है, जो आविष्कारक को एक निश्चित समय के लिए उसके आविष्कार का उपयोग करने के लिए प्रदान किया जाता है।

यदि किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु का नवीन और उपयोगी आविष्कार किया है, या किसी विद्यमान वस्तु में सुधार किया है या उस वस्तु के विनिर्माण की नई प्रक्रिया का आविष्कार किया है, तो उसे उस आविष्कार के बारे में पेटेन्ट द्वारा एकाधिकार प्रदान किया जाता है।

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) ड के अन्तर्गत ''पेटेन्ट'' शब्द को उस प्रकार परिभाषित किया गया है–''पेटेन्ट'' से इस अधिनियम के अधीन किसी आविष्कार के लिए अनुदत्त पेटेन्ट अभिप्रेत है।

अधिनियम की धारा 2 (1) (त) के अनुसार , ''पेटेन्टी'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुदानग्राही (grantee) या पेटेन्ट के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को पेटेन्ट अनुदत्त किया जाता है उसे पेटेन्टी (Patentee) कहते है।

पेटेन्ट सरकार द्वारा पेटेन्ट का आवेन करने वालो को उसकी सहमति के बिना पेटेन्ट कराए गए उत्पाद बनाने, उपयोग करने, बेचने,आयात करने या उन प्रयोजनों के लिए उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया का उपयोग करने से अन्य व्यक्तियों को रोकने के लिए उसके आविष्कार की पूरी जानकारी देकर एक सीमित समय अवधि के लिए एक आविष्कार हेतु दिये जाने वाला एक संविधिक अधिकार है।

पेंटेट एक ऐसी कानूनी अधिकार हैं जो व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद,खोज,डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के उपर एकाधिकार देता है। पेंटेट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग बिना पेटेंट धारक के अनुमति के बगैर करता है तो वह कानूनन अपराध माना जाता है।

पेटेन्ट का उद्देश्य
(Objects of Patent)

पेटेन्ट एक बौद्धिक सम्पदा अधिकार है। पेटेन्ट निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये प्रदान किया जाता है–

1. अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और आविष्कारशील प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना;

2. आविष्कारक को उसके नवीन और उपयोगी आविष्कार के लिये पुरस्कृत करना;

3. आविष्कारकों को उनके आविष्कारों का वाणिज्यिक उपयोग करने का एकाधिकार प्रदान करते हुये संरक्षण प्रदान करना;

4. उद्योगों को अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रिया तीव्र करने के लिये प्रेरित करना;

5. आविष्कार और आगे के आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त करते हैं इसलिये आविष्कार की गति को बनाए रखना;

6. माल या सेवाओं के उत्पादन में नवीन प्रक्रिया एवं तरीकों को प्रयोग में लाते हुये राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि करना;

7. राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति में सहायता देना और लोगों के जीवन–स्तर में गुणात्मक सुधार लाना; और
8. वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करना और प्रोत्साहन देना।

पेटेन्ट अनुदत्त किये जाने से आविष्कारकों को उनकी रचनात्मक सामर्थ्य का उपयोग करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आविष्कारक अपने आविष्कार का संरक्षण चाहता है ताकि किसी अन्य के द्वारा उसका उपयोग न किया जा सके और पेटेन्ट विधि द्वारा एक सीमित अवधि के लिये इस बारे में संरक्षण प्रदान किया जाता है।
विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिन्दुस्तान मेटल इण्डसट्रीज के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''पेटेन्ट विधि का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीन प्रौद्योगिकी और औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है। पेटेन्टीकृत उत्पाद या प्रक्रिया का एक सीमित अवधि के लिये स्वामित्व रखने, उपयोग

करने या विक्रय करने के अनन्य विशेषाधिकार का प्रदान किया जाना वाणिज्यिक उपयोग के आविष्कारों को प्रेरित करता है। पेटेन्ट कार्यालय में आविष्कार का प्रकटीकरण एकाधिकार प्रदान किये जाने का मूल्य होता है जो एकाधिकार की निश्चित अवधि बीत जाने के पश्चात् सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में संक्रान्त हो जाता है।''

विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिन्दुस्तान मेटल इण्डस्ट्रीज (1979) 2.S.C.C. 511 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पेटेन्ट विधि का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीन प्रौद्योगिकी और औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है। पेटेन्टीकृत उत्पाद या प्रक्रिया का एक सीमिति अवधि के लिए स्वामित्व रखने, उपयोग करने या विक्रय करने के अनन्य विशेषधिकार का प्रदान किया जाना वाणिज्यिक उपयोग के आविष्कारों को प्रेरित करता है।

पेटेन्ट कार्यालय में आविष्कार का प्रकटीकरण एकाधिकार प्रदान किए जाने का मूल्य होता है, जो एकाधिकार की निश्चित अवधि बीत जाने के पश्चात् सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में संक्रान्त हो जाता है।''

विश्वनाथ प्रसाद बनाम हिन्दूस्तान मेटल इण्डस्ट्रीज, A.I.R. 1882 S.C. 1444, की नजीर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि एकस्व विधि का यह मुख्य सिद्धान्त है कि एकस्व अधिकार का स्वामी वही व्यक्ति माना जायेगा जिसमें कि उस विषय वस्तु की खोज की हो तथा वह नया हो तथा लाभकारी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि विषय वस्तु अपने आप में अनौखी है तथा वह उपयोगी है। एकस्व अधिकार की बात वह तभी कह सकता है, जबकि उसने उस विषय–वस्तु की खोज की हो और वह पहले से अपरिचित हो।

सिनिंग इण्डस्ट्रीज बनाम श्री कृष्णा इन्डस्ट्रीज, A.I.R. 1975. All. 231, की नजीर में एक व्यक्ति ने पुराने ताले में काफी परिवर्तन कर दिये और परिवर्तित ताले पर वह अपना एकस्व अधिकार मानने लगा। माननीय न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किया कि वह नये ताले पर एकस्व अधिकार नहीं कह सकता है, क्योंकि ताले की उसने खोज नहीं की थी। उसने पुराने ताले में कुछ परिवर्तन कर दिये इस आधार पर वह नव–निर्मित ताले पर एकस्व अधिकार पाने का अधिकार नहीं माना जा सकता है।

मैo स्टेन्डी पेक प्रा. लि. बनाम मैo ओसवाल ट्रेडिंग कं. लि. की नजीर में विद्यवान न्यायाधीश ने मत व्यक्त किया कि यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक फिल्म की मोटाई कम कर दे या बढ़ दे तो यह आविष्कार नहीं कहा जायेगा और विषय–वस्तु पर वह अपना एकस्व अधिकार रखने का अधिकारी नहीं है।

पेटेन्ट के लाभ

पेटेन्ट के अधीन आविष्कार को प्राप्त लाभ– चूँकि पेटेन्ट नवीन आविष्कार को अनुदत्र किया जाता है, आविष्कार की नवीनता के लिए आवश्यक है कि पूर्वता तिथि से पूर्व सम्बन्धित उत्पाद, प्रक्रिया या उससे सम्बन्धित कोई अन्य जानकारी लिखित या मौखिक वर्णन द्वारा, उपयोग द्वारा या अन्य तरीके से जनसामान्य को उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। पेटेन्ट से आविष्कारक को निम्नलिखित लाभ होता है–

(1) आविष्कारक को एक सीमित अवधि के लिए किसी विनिर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त हो जाता है।

(2)यह आविष्कारक के लिए मूल्यवान आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करता है।

(3)आविष्कारक को प्रतिस्पर्द्धा से संरक्षण प्रदान करता है।

(4) आविष्कारक के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत होता है।

(5) आविष्कारक को पेटेन्ट के माध्यम से अनुदत्र अनन्य अधिकार की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आविष्कारक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आविष्कारक का उपयोग किया जा सकता है।

पेटेन्ट–एक बौद्धिक सम्पदा
(Patent-An Intellectual Property)

आविष्कारक द्वारा बुद्धि,पूंजी और श्रम का प्रयोग करते हुये कुछ नवीन और उपयोगी उत्पाद की रचना या प्रक्रिया की खोज की जाती है। ऐसी रचनाओ या खोज आविष्कारक को पेटेन्ट अनुदत्र किये जाने के पश्चात् उसकी अनन्य सम्पदा हो जाती है। पेटेन्टी का आविष्कार पर अनन्य साम्पत्रिक अधिकार बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहलाता है। पेटेन्ट एक प्रकार की बौद्धिक सम्पदा है। पेटेन्टी बौद्धिक सम्पदा के प्रति उसी प्रकार का

व्यवहार करने के लिये अधिकृत होता है। इससे स्पष्ठ होता है कि पेटेन्टी बौद्धिक सम्पदा (पेटेन्ट) का आंशिक या पूर्ण तौर पर विक्रय कर सकता है। वह पेटेन्टीकृत आविष्कार का उपयोग करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति अनुदत्र कर सकता है या समनुदेशन कर सकता है। ऐसे पेटेन्टी आविष्कार का विक्रय, अनुज्ञाप्ति या समनुदेशन वास्तविक तौर पर पारस्परिक सहमति और स्वामिस्व (royalty) के रूप में मूल्यवान प्रतिफल के लिये होता है।

पेटेन्ट अधिनियम 1970 के पेटेन्ट संबंधी पारिभाषित पद

(क) अन्वेषण, (ख) अनुसंधानकारी कदम, (ग) पेटेन्ट, (घ) पेटेन्ट अभिकर्ता, (ङ) पेटेन्टी।

Q.3 Define following term under the patent Act, 1970

(a) Invention, (b) Inventive step, (c) Patent, (d) Patent Agent, (e) Patentee.

(क) अन्वेषण (Inventive)

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) के अनुसार–आविष्कार से कोई नवीन और उपयोगी–

(i) कला, प्रक्रिया, विनिर्माण का ढंग या तरीका,

(ii) मशीन, साधित्र या अन्य वस्तु,

(iii) विनिर्माण द्वारा उत्पादित पदार्थ, और इनमें से किसी का कोई नवीन और उपयोगी सुधार और कथित आविष्कार सम्मिलित है।

पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा ''आविष्कार'' शब्द की उपर्युक्त परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित नई परिभाषा के अनुसार–आविष्कार से अभिप्रेत है, एक नवीन उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें आविष्कारशील उपाय अन्तर्ग्रस्त है और जों औद्योगिक उपाय के योग्य है।

(ख) अनुसंधानकारी कदम (Inventive Step)

पेटेन्ट (संसोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (ञ क) के अनुसार, अनुसंधानकारी उपाय से, आविष्कार की आर्थिक महत्व अथवा दोनों से सम्बन्ध है और जो आविष्कार की कला में दक्ष व्यक्ति को स्पष्ठ नहीं होती है, अभिप्रेत है।

(ग) पेटेन्ट (Patent)

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) (ढ) के अनुसार पेटेन्ट से इस अधिनियम के अधीन किसी आविष्कार के लिए अनुदत्र पेटेन्ट हैं।

(घ) पेटेन्ट अभिकर्ता (Patnet Agnet)

अधिनियम की धारा 2 (1) (ण) के अनुसार–''पेटेन्ट अभिकर्ता'' का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से होगा, जो कि इस अधिनियम के अधीन पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत है।

(ङ) पेटेन्टी (Patentee)

अधिनियम की धारा 2 (1) (त) के अनुसार –''पेटेन्टी'' से वह व्यक्ति अभ्रिेत है, जो अनुदानग्राही (Grantee) या पेटेन्ट के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट है। अर्थात्, जिस व्यक्ति को पेटेन्ट अनुदत्र किया जाता है, उसे पेटेन्टी (Patentee) कहते हैं।

स्वास्थ्य–प्रणाली में पेटेंटों का महत्वः

चिकित्सा के क्षेत्र में पेंटेंटों का विशेष महत्व है चरक तथा सुश्रुत जैसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा–विशेषज्ञों की चिकित्सा–पद्धतियों के बारे में पौराणिक काल से ही उल्लेख मिलता है, उन्हें उस जमाने में इन पद्धतियों के आविष्कार के किए कोई विशेषधिकार मिले थे या नहीं, यह तो ज्ञात नहीं लेकिन यह स्पष्ठ है उन्हें शासकीय संरक्षण एवं प्रोत्साहन अवश्य मिला था नई चिकित्सा–पद्धतियों के आविष्कारों को भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्य–युग तक राजवैद्य घोषित करने या बनाने की प्रथा प्रचलित थी जन–वैद्यों का कहीं कोई उल्लेख नही मिलता लेकिन जब राजवैद्य होते थे तो उनके द्वारा आविष्कृत पद्धतियों के प्रचलित हो जाने पर उन्हें अपनाकर आमजनों कों चिकित्सा–गुरूओं की परम्परा आज भी कायम है केरल में किर्टाड्स जैसी सरकारी संस्था इन जनजातीय चिकित्सा–गुरूओं की पद्धतियों को आधुनिक कानूनों के तहत बौद्धिक संरक्षण तथा पेटेंट का अधिकार दिलाने की दिशा में लम्बे समय से प्रयास कर रही है,

भोजन की ही तरह दवाएँ भी जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं और गरीबों को जीने के लिए जितना जरूरी है भोजन का अधिकार, उतना की जरूरी है बीमारियों के प्रतिरोध के लिए दवाएँ प्राप्त करने का अधिकार खैर, हमारी स्वास्थ्य–प्रणाली में गरीबों को जीवन–रक्षक दवाएँ मुफ्त में मुहैया कराने की व्यवस्था कैसे हो इस पर तो आजादी के बाद से लेकर बाज तक केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निरंतर विचार किया ही जाता रहा है, लेकिन खुले बाजार में इन जीवन–रक्षक दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने की समुचित एवं प्रभावी व्यवस्था बनाने की ओर ध्यान अभी हाल के वर्षों में ही में गया है पेटेंट का मसला सीधे–सीधे दवाओ के मूल्य से जुड़ा है पेटेंट दवाओं के मूल्य पर सरकार द्वारा कोई नियंत्रण नहीं रखा सकता अतः देश की गरीबी जनता की स्वास्थ्य–सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए हम एक लचीली पेटेंट व्यवस्था के पक्षधर नहीं है। चूँकि नई दवाओं के आविष्कार तथा उनके परीक्षण में काफी ज्यादा समय लगता है एक बड़ा खर्च आता हैं अतः आविष्कर्ता दवा–निर्माता नई दवाओं को काफी ऊँचे दामों पर बाजार में उतारते है। और पेटेंट के अधिकार की अवधि के भीतर ही ऐसी दवाओं के आविष्कार पर आए व्यय के साथ–साथ अधिक से अधिक लाभ भी कमा लेना चाहते हैं कई मामलों में तो वे पेटेंट के अधिकार का दुरूपयोग–सा करते दिखते हैं और उनके द्वारा निर्धारित दवाओं के बाजार–मूल्य मनमाने ढ़ग के लगते हैं जैसे–जैसे दुनिया में नई–नई घातक बीमारियों का उद्धव एवं प्रसार हो रहा है, दवा–निर्माता अपने–अपने नए–नए पेटेंटेड उत्पाद विश्व के बाजार में उतारते जा रहे हैं जाहिर है कि विकसित देशों की सुविधा–संपन्न दवा कंपनियॉ इस दिशा में दूसरों से आगे रहेंगी और वे ऐसे उत्पादों के जरिए विकासशील अथवा गरीब देशों के दवा–बाजार पर एकाधिकार जमाने की कोशिश करेंगी। भारत जैसे विकासशील देश में आजादी के बाद से ही जेनेरिक दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है क्योकि हमारी गरीब जनता की अधिकांश रोग–निदान की आवश्यकता को सस्ती जेनेरिक दवाओं से पूरा कराना जरूरी है। इसीलिए बहुराष्ट्रीय दवा–कंपनियों की चालाकी–भरी प्रवृत्तियों से बचने के लिए हमने फुँक–फुँककर कदम उठाए हैं और हमने अपने जेनेरिक दवाओं के उद्योग को देश के भीतर फलने–फूलने का पर्याप्त मौका दिया है साथ ही साथ हमने कई दवाओं के विकास व पेटेंटेड दवाओं की उपलब्धता को भी बनाए रखने के लिए भी अंतराष्ट्रीय समझौते के अनुरूप अपने पेटेंट कानून में समय–समय पर सनुचित प्रावधान किए है और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया है।

यथासंशोधित भारतीय पेटेंट अधिनिम 1970 के तहत पेटेंट का अधिकार केवल नए आविष्कृत नई जानकारियों पर आधारित होना चाहिए तथा उसका नूतन औद्योगिक उपयोग होना चाहिए। उसका कोई पूर्वानुमान नहीं होना चाहिए किसी पूर्व–आविष्कृत उत्पाद के निर्माण की अभिनव प्रक्रिया के आविष्कार को भी पेटेंट दिया जा सकता है। जो आविष्कार सामान्य रूप से ज्ञात सिद्धांतो अथवा परंपरागत ज्ञान पर आधारित अथवा प्रकृति में सामान्य रूप से उपलब्ध उत्पादों से जुड़े होते है या जन–सुरक्षा एवं नैतिक मानदंडो के विरूद्ध होते है उन्हें पेटेंट नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से जीव–जगत के लिए हानिकारक तथा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले आविष्कारों के लिए भी पेटेंट अनुमल्य नहीं है दवा–निर्माण की दृष्टि से 2005 के संशोधन द्वारा लागू किया गया सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जब तक नया आविष्कृत उत्पाद अथवा प्रक्रिया भिन्न

एवं विशिष्ट गुणों से युक्त न हो तथा उसकी प्रभावशील में संवर्धन न हो तब तक उसे पेटेन्ट नहीं दिया जा सकता। अतः भारत में किसी दवा–निर्माता को पेटेंट–अधिकार प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि वह अपने नवीन उत्पाद अथवा प्रक्रिया के अभिनव एवं विशिष्ट गुणों तथा उसकी बढ़ी हुई प्रभावशील को सिद्ध करे भारत में वर्ष 2005 में पेटेंट कानून में लागू किए व्यापक संशोधनों के उपरांत पॉच हजार से भी अधिक फार्मो उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को पेटेंन्ट का अधिकार दिया जा चुका है जिसका विवरण तालिका –1 में दिया है।

तालिका–1

भारत में लागू फार्मा पेटेंट्स(प्रक्रिया एवं उत्पा दोनों मिलाकर)

वर्ष	भारतीय पेटेंट्स	विदेशी पेटेंट्स	कुल पेटेंट्स	विदेशी फार्मो पेटेंट्स का प्रतिशत
2005-06	268	189	457	41.36
2006-07	343	455	798	57.02
2007-08	235	670	905	74.03
2008-09	265	942	1207	78.04
2009-10	96	434	530	81.89
2010-11	93	503	596	84.39
2011-12	76	206	282	73.04
2012-13	59	284	343	82.80
कुल	1435	3683	5118	71.96

भारत में पेटेन्ट नियंत्रक के कार्यालय द्वारा वर्ष 2005 के बाद के संशोधित अधिनियम के तहत जिन प्रमुख फार्मो कंपनियों को पेटेन्ट के अधिकार दिए गए हैं उनका विवरण तालिका–2 में दिया गया है। देश में नए प्रावधानों के तहत जारी किए गए पेटेंटो में लगभग 72 प्रतिशत विदेशी उत्पादों या प्रक्रियाओं के है। तालिका–1 तथा तालिका–2 के विवरणों को देखने से पता चलता है कि देश में विदेशी उत्पादों या प्रक्रियाओं के पेटेन्ट लगातर बढ़ रहे हैं और जहॉ वर्ष 2005–06 में इनका प्रतिशत केवल 41.36 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2012–13 में इनकीं संख्या बढ़कर 82.80 प्रतिशत हो गई। सिर्फ प्रतिशत ही नहीं घट रहा है, भारतीय पेटेन्टों की संख्या

साल दर साल कम भी हो रही है। स्पष्ट है कि पेटेंटे अधिकार पाने में विदेशी कंपनियॉ ही बाजी मार रही है। यह चिन्ता का विषय है। चूँकि पेटेन्टों के विकास के लिए जिस प्रकार के संसाधन, इफ्रास्ट्रक्चर तथा क्लीनिकल ट्रायल्स की सुचिधा दवा की कंपनी के पास होने चाहिए, वे भारतीय कंपनियों के पास उपलब्ध नहीं है अतः जरूरत इस बात की है इन कंपनियों का विदेशी कंपनियों के साथ व्यावसायिक अंतर्सम्बंध बने और ये शोध तथा नई दवाओं के विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें।

कंपनी का नाम	पेटेंट्स की संख्या	कंपनी का नाम	पेटेंट्स की संख्या
एफ.हॉफमान रोश	166	जंसेन फार्मो	69
सानोफी	159	बेरिंगर	68
नोवार्टिस	147	अवेंटिस	65
ऐस्ट्राजेनेका	118	ग्लैक्सो	57
फाइजर	102	स्मिथक्लाइन	54
शेरिंग	83	अल्टाना फार्मो	33
एली लिली	80	वर्टेक्स फार्मो	31
बयार	80	ऐस्टेल्स	29
मर्क	73	अब्बॉट	25

पेटेंन्ट प्रणाली का महत्व
(Singnificance of Paten System)

पेटेन्ट प्रणाली एक एसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत किसी आविष्कारक को उसके आविष्कार के सम्बन्ध में विनिर्माण, उपयोग और विपणन करने आदि का अनन्य अधिकार प्राप्त होता है। किसी भी आविष्कारक के लिये पेटेन्ट एक न्याय–पत्र (Instrument of Justice) होता है। यान्त्रिक, औषधि या औषध आदि क्षेत्रों में किया जाने वाला आविष्कार न सिर्फ आविष्कारक को आर्थिक प्रतिफल के रूप में पुरस्कृत करता है बल्कि उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति के रूप में राष्ट्र के आर्थिक विकास और लोकहित की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान करता है।

पेटेन्ट प्रणाली के अन्तर्गत आविष्कारक को उसके द्वारा किये गये आविष्कार को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो नवीनता, अप्रकटता और औद्योगिक उपयोग की कसौटी पर खरे उतरते है। पेटेन्ट एक बौद्धिक सम्पदा है और अन्य बौद्धिक सम्पदा स्वामियों की तरह पेटेन्टी को भी उसके आविष्कृत था पेटेन्टीकृत उत्पाद या प्रकिया के सम्बन्ध में अन्यन अधिकार प्राप्त होता हैं। पेटेन्ट आर्थिक प्रतिफल के रूप में आविष्कारों एवं पश्चात्वर्ती नवाचारों (innovations) को और आगे बढ़ाने के लिये प्रेरणा स्त्रोत होता है। पेटेन्ट अनुदत्र किये जाने से आविष्कारकों को उनकी रचनात्मक सामर्थ्य का उपयोग करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आविष्कारक अपने आविष्कारक का संरक्षण चाहता है ताकि किसी अन्य के द्वारा उसका उपयोग न किया जा सके और पेटेन्ट प्रणाली के अन्तर्गत आविष्कारक को समीति अवधि के पेटेंन्ट संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है।

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में पेटेन्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में आविष्कार और उनका पेटेन्टीकृत किया जाना राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि को व्यक्त करते हैं। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् वैज्ञानिक,तकनीकी, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास हुआ है। निरन्तर आविष्कारों एवं नवाचारों के माध्यम से औद्योगिक जगत लाभान्वित हुआ और उद्योगपतियों तथा वैज्ञानिकों द्वारा अधिकाधिक आविष्कारों एवं उनके पेटेन्ट संरक्षण के बारे में विशेष ध्यान दिया जाने लगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये वर्तमान में उद्योगों ने चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी, शोध एवं विकास (Research and Development) की प्रभावी व्यवस्था शुरू कर दिया है।

किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में पेटेन्ट की भूमिका का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित एवं विकासशील देशों में आविष्कारों एवं नवाचारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु बड़ी संख्या में पेटेंट कार्यालायों में पेटेंट आवेदन–पत्र फाइल किये जा रहे हैं। पेटेन्ट के महत्व को देखते हुये पेटेन्ट सहयोग संधि(पी.सी.टी.) द्वारा संविदाकारी राज्यों में पेटेन्ट संरक्षण प्राप्त करने के लिये पेटेन्ट प्रक्रिया को सरल बनाते हुये वैश्विक मान्यता प्रदान की गयी है। पेटेन्ट आवेदन–पत्र के साथ विनिर्देश (Specification) के प्रकाशन की व्यवस्था ने विश्व स्तर पर तकनीकी जानकारी का आदान–प्रदान सम्भव हो सका है।

नित्य नये आविष्कारों एवं नवाचारों में प्रगति के साथ बाजार में उपभोगताओं के लिये गुणवतायुक्त और युक्तियुक्त मूल्य पर आविष्कृत उत्पाद उपलब्ध हो रहे है। उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक गतिविधियों में वृद्धि ने उपभोक्ताओं के लिये बाजार खोल दिया है। जहां उपभोक्ता स्वनिर्णय से माल की गुणवत्रा मात्रा, उपयोगिता,मूल्य एवं सक्षमता पर विचार करते हुये माल का क्रय करता है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की वाणिज्यिक गतिविधियों को बल मिलता है।

पेटेंट के द्वारा आविष्कारक को अनन्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे पेटेन्टी द्वारा लोक हित में उपयोग किया जाना आपेक्षित है। यदि पेटेन्टी पेटेन्टीकृत उत्पाद का निर्माण विपणन नहीं करता है। या पेटेन्टीकृत उत्पाद जनता को उचित मूल्य पर नहीं मिलता है तो पेटेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा लोकहित को ध्यान में रखते हुये आवेदन किये जाने पर नियन्त्रक द्वारा ऐसे व्यक्ति को अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। साथ की साथ यह पेटेन्ट के प्रतिसंहरण का आधार भी बनता है।

पेटेन्ट सहयोग संधि
(Patent Co-operation Treaty)

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और राज्यों के बीच परस्पर व्यवहार में वृद्धि के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने स्पष्ट अनुभव किया कि पेरिस अधिनियम, 1883 के अन्तर्गत परिकल्पित पेटेन्ट आवेदन की पद्धति में पेटेन्ट आवेदनों की लागत में भारी वृद्धि और पेटेन्ट कार्यालयों पर काफी दबाव पड़ता है। एक अन्तर्राष्ट्रीय विधिक तन्त्र की आवश्यकता का अनुभव किया गया है जो प्रारम्भिक तौर पर यह सुनिश्चित करे कि आविष्कार पेटेन्ट योग्य है अथवा नहीं। क्या यह आविष्कार के तीन मानदण्डों, नवीनता, अप्रकटता और औद्योगिक उपयोग को पूरा करता है? और यदि ऐसा है तो विश्व के किन देशों में आविष्कार को पेटेन्टीकृत किया जा सकता है?

वाशिंगटन में मई,1970 में एक राजनयिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 18 संविदाकारी राज्यों ने भागीदारी की थी। पेटेन्ट सहयोग संधि इसी सम्मेलन का परिणाम है। विश्व स्तर पर पेटेन्ट फाइल करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार किया गया। पेटेन्ट सहयोग संधि 21जनवरी, 1978 को प्रवृत्र हुई और पेटेन्ट के लिये प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र 1 जून, 1978 को दाखिल किया गया। संधि जिसे सामान्य–तौर पर पी.सी.टी. (PCT) के तौर पर जाना जाता है, विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रशासित होती है और वर्तमान में इस विधि के 135 संविदाकारी पक्षकार है।

उद्देश्य– पेटेन्ट सहयोग संधि के दो मुख्य उद्देश्य है, प्रथम आविष्कारों के लिये विधिक संरक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, और द्वितीय तकनीकी जानकारी के प्रचार–प्रसार और तकनीकी मदद देना। विशेषकार उन विकासशील देशों को जहां आविष्कार और उसके विधिक संरक्षण की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है तथा इसके लिये उचित एवं प्रभावी संगठन की स्थापना करना।

प्रथम उद्देश्य प्रक्रियात्मक है जिसके अन्तर्गत आविष्कार को पेटेन्टीकृत किये जाने के बारे में एक साथ कई देशों में अलग–अलग पेटेन्ट आवेदन फाइल करने की अपेक्षा एक अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन फाइल करते हुये आविष्कार के लिये पेटेन्ट संरक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। पेटेन्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान

जहां एक ही आविष्कार के लिये कई देशों में पेटेन्ट चाहा गया है अलग–अलग पेटेन्ट आवेदन फाइल करने की अपेक्षा एक अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन पर्याप्त है जिसके फलस्वरूप पेटेन्ट आवेदक और राष्ट्रीय पेटेंट आवेदक और राष्ट्रीय पेटेन्ट कार्यालयों के प्रयास, समय और धन की बचत होती है। और सुपात्र आविष्कारों को पेटेन्ट अनुदत्र किये जाने की सम्भाव्यता में वृद्धि होती है। विशेष तौर पर इसका लाभ उन विकासशील या अल्प विकसित देशों को प्राप्त होता है जहां पर आविष्कार की जांच और परीक्षण की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

सूचनात्मक उद्देश्य के सम्बन्ध में पेन्टेट सहयोग सन्धि की उद्देशिका में नवीन आविष्कारों का वर्णन करने वाले अभिलेखों तक तकनीकी जानकारी के बारें में लोंगो की पहुंच बनाने और मदद करने का उल्लेख किया गया है। ऐसी जानकारी के बारें में पहुंच बनाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन के प्रकाशन द्वारा ही सरल बनाया जाना नहीं हैं बल्कि इसके लिये प्रकाशन के साथ सारांश (abstract) और अन्तर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट का प्रकाशन भी आवश्यक बनाया गया है।

प्रकिया

पेटेंट सहयोग संधि के अन्तर्गत संविदाकारी राज्यों में आविष्कारों को पेटेंट संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में पेटेंट आवेदन–पत्रों को फाइल करने की एकीकृत प्रकिया का प्रावधान किया गया है। पेटेंट सहयोग संधि के अन्तर्गत फाइल आवेदन–पत्र को 'अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र' या पी. सी. टी. आवेदन –पत्र कहा जाता है।

पेटेंट के लिये अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र एक भाषा में ग्राही कार्यालय (Receiving office) में फाइल किया जाता है। इसके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय जांच प्रधिकरण (International Searching Authority) द्वारा जांच की जाती है। जो आविष्कार, जिसके बारें में आवेदन किया गया है, की पेटेन्टनीयता के बारे में अपनी लिखित राय देता है। यहां पर आविष्कार की नवीनता, अप्रकटता और औद्योगिक उपयोग की परख की जाती है। यह प्रकिया प्रारम्भिक परीक्षण का अनुसरण करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण (International Preliminary Examination Authority) द्वारा की जाती है। इसके पश्चात् युक्तियुक्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्राधिकरण पेटेंट आवेदन–पत्र की परीक्षा से सम्बन्धित सामग्रियों और पेटेन्ट के प्रचालन (Issuance) का प्रबन्ध करते है। अन्तर्राष्ट्रीय पेटेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र स्वयं में पेटेंट का अनुदान नहीं करता है। पेटेंट का अनुदान प्रत्येक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय प्राधिकारी का परमाधिकार होता है। पेटेंट सहयोग संधि के अधीन विहित प्रक्रिया तत्वतः एक मानक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेन्ट आवेदन–पत्र को आगे बढ़ाता है और पेटेन्ट उस देश में, जहां पेटेन्ट चाहा गया है, लागू विधि के अनुसार आवेदक को अनुदत्र किया जा सकता है या इन्कार किया जा सकता है।

पेटेन्ट सहयोग संधि के अधीन प्रकिया से पेटेन्ट आवेदक, पेटेन्ट कार्यालय और साधारण जनता को निम्नलिखित महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है–

1. पेटेंट सहयोग संधि के अन्तर्गत आवेदक को 18 माह की अधिक अवधि प्राप्त होती है। जिससे आवेदक को भाषान्तर तैयार करने, विदेशी राष्ट्रों में स्थानीय पेटेंट अभिकर्ताओं की नियुक्ति और शुल्क का भुगतान करने आदि के लिये अवसर प्राप्त होता है। आवेदक को आश्वासन प्राप्त होता है कि यदि उसका अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र पेटेन्ट सहयोग संधि द्वारा विहित प्ररूप में है तो राष्ट्रीय चरण में आवेदन के प्रक्रमण (processing) के दौरान किसी नामित कार्यालय द्वारा उसका आवेदन–पत्र औपचारिक आधारों पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदक इस बात का मूल्यांकन कर सकता है। कि उसके आविष्कार को पेटेंट अनुदत्र किये जाने की युक्तियुक्त सम्भाव्यता है और साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आवेदक अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र में अपेक्षित संशोधन भी कर सकता है।
2. अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र के साथ अन्तर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट और लिखत राय संलग्न होने के कारण पेटेन्ट कार्यालयों द्वारा जांच और परीक्षण के बारें में

किये जाने वाले कार्य में पर्याप्त कमी आ जाती है या वस्तुतः समाप्त हो जाता है। पेटेन्ट कार्यालयों द्वारा आविष्कार की जांच और परीक्षण के बारे में किया जाने वाला कार्य अन्तर्राष्ट्रीय जांच प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

3. चूंकि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र अन्तर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया जाता है इसलिये वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों या आवेदक के प्रतिस्पर्द्धा या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को दावाकृत आविष्कार की पेटेन्टीनीयता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

पेटेंट(संशोधन) अधिनियम,2005
Pantents (Amendment),2005

ट्रिप्स करार की बाध्यता के अनुसार भारत में जहॉ वर्तमान में केवल प्रक्रिया पेटेंट (Processs patent) अनुमत है उत्पाद पेटेन्ट (Product patent) पुरःस्थापित करने की अपेक्षा की गई थी। पेटेंट सहयोग संधि (Patent Cooperatio Treaty) के अनुसार प्रक्रियात्मक परिवर्तन भी आवश्यक थे। चूंकि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में समय से संशोधन नहीं किये जा सके, इसलिये 26 दिसंबर, 2004 को अध्यादेश जारी करते हुए संशोधन किया गया। अपील बोर्ड से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त अध्यादेश के सभी प्रावधान 1 जनवरी,2005 से प्रभावी हुये। पेटेन्ट परिनियमावली, 2003 में भी संशोधन किया गया है। मार्च, 2005 में अध्यादेश अधिनियम में परिवर्तित हुआ। पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. प्रक्रिया पेटेन्ट के प्रावधान का उन्मूलन कर दिया गया है; (धारा 5 का लोप कर दिया गया)।
2. अनन्य विपणन अधिकार (Exclusive Marketing Rights) से सम्बन्धित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पहले से ही दाखिल आवेदन की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पडेंगा। सभी आवेदन पेटेन्ट अनुदत्र किये जाने के बारे में आवेदन समझे जाएंगे और सभी अधिकार जारी रहेंगें।
3. विनिर्देश की स्वीकृति के बारे में प्रावधान समाप्त कर दिया गया है और ''पूर्ण विनिर्देश को स्वीकृति'' और इसके विज्ञापन से सम्बन्धित धाराओं 22–24 के प्रावधानों को हटा दिया गया है।
4. पेटेन्ट के लिये आवेदन को प्रकाशित किये जाने का प्रावधान किया गया है, उसी समय पेटेन्ट अनुदत्र किये जाने से सम्बन्धित विरोध दाखिल किया जा सकता है। यदि अनुरोध किया जाता है तो सुनवाई की जा सकती है।
5. पेटेन्ट अनुदत्र किये जाने के पश्चात् 12 माह के भीतर विरोध किया जा सकता है। धारा 25 और धारा 26 को पूर्णतः संशोधित कर दिया गया है।
6. नियंत्रक की लिखित अनुमति के बिना भारत का निवासी भारत से बाहर किसी पेटेन्ट के लिये आवेदन नहीं कर सकता है। धारा 39 को संशोधित कर दिया गया है।
7. पेटेन्ट के समनुदेशन से संबंधित धारा 68 को संशोधित कर दिया गया है।
8. आवेदन के प्रकाशन की तिथि से पूर्व पेटेन्ट के अतिलंघन के लिये वाद संस्थित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में धारा 45 और धारा 105 की उपधारा (4) में अपेक्षित संशोधन किया गया है।
9. पेटेन्ट के मुद्रांकन (sealing) का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
10. राजपत्र (Official Gazette) में विज्ञापनों और अधिसूचनाओं के प्रावधान को शासकीय जर्नल में प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
11. शास्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।

इसके अतिरिक्त पेटेन्ट विधि के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुये कतिपय परिभाषाओं में भी संशोधन किये गये है।

पेटेन्ट के प्रकार

Types of patents

पेटेन्ट कई प्रकार के हो सकते है और यह उन बात पर निर्भर करता है कि हम विषय वस्तु के आधार पर उनका नामकरण करते है। या उनके 0000000000 हुई विशेषताओं के आधार पर करते है।

विषय वस्तु को आधार मानकर पेटेंट को तीन 000 जा सकता है।

1. उत्पाद पेटेन्ट (000 patent
2. प्रकिया पेटेंट (000 patent
3. 000 पेटेंट (000 patent

1. उत्पाद पेटेंट

उत्पाद पेटेंट किसी उत्पाद विशेष से संबधित दावे है। और इसलिए वे संगत उत्पाद के संभव उपयोगों को 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

2. प्रकिया पेटेंट (Process patents)

उसका संबंध नई प्रौद्योगिकी से है। किसी भी नई तकनीकी पर भी पेटेंट लिया जा सकता है। प्रक्रिया पेटेंट उस विशेष प्रक्रिया या प्रणाली को संरक्षण देता है। जिसके द्वारा कोई वस्तु उत्पन्न की जाती है, या इसके किसी विशेष उपयोग को इस प्रकार किसी भौतिक वस्तु या उत्पाद या के प्रयोग या उसके उत्पादन की प्रक्रिया या प्रणाली विशेष के लिए प्रक्रिया उत्पाद दिये या लिये जाते है प्रक्रिया उत्पादों को सामान्यता ऐसे माहौल में अनुप्रयक्ता किया जाता है जहॉ प्रश्नगत उत्पाद पहले से ज्ञात है, या इसके उत्पादन की कुछ एक विधिया ज्ञात है, या इसके कुछ उपयोग समाज में पहले से प्रचलित है। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा सिर्फ उस विशेष प्रक्रिया या प्रणाली पर दावा किया जा सकता है जिससे प्रश्नगत वस्तु का उत्पादन किया जाय, उस वस्तु के किसी विशेष उपयोग पर प्रक्रिया पेंटेट में किसी उत्पाद को बनाने की विधि को चोरी नहीं किया जा सकता है।

3. संकर पेटेंट (???????)

संकर पेटेंट वह पेटेंट है जो उत्पाद एवं प्रक्रिया पेटेंट के मध्य स्थित माना जा सकता है। इसका एक उदाहरण प्रक्रिया द्वारा उत्पाद पेटेंट (product by process patent) है। इस प्रकार के पेटेंट में ‘‘संरक्षण की सीमा उन पदो के रूप में परिभाषित की जाती है जिन पदों (या अवस्थाओं) के माध्यम से उत्पाद प्राप्त किया जाता है।’’

पेटेंट के संबंध विशेषताओं को आधार माने हो पेटेंट की ??????? हो सका है।

4. वृद्धि संबंध पेटेंट (patents of addition)

एक पेटेंट के स्वामी को वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट जारी करने से उसे पेटेंटीकृत आविष्कार में परिवर्तन, वृद्धि या विकास करने का अधिकार मिल जाता है। सामान्यतया ऐसे पेटेंट की कालावधि मूल पेटेंट की शेष कलावधि के बराबर होती है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम,1970 के अन्तर्गत वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट, पेटेंट नियंत्रक द्वारा, अनुभाग 54 के अन्तर्गत, जारी किये जाते हैं। परन्तु ध्यान देने की बात यह है कि पेटेंट नियंत्रक द्वारा इसे वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट के रूप में अथवा स्वतंत्र पेटेंट के रूप में, और 20 वर्षों की पूर्ण कालावधि के लिए या मूल पेटेंट की शेष कालावधि के लिए दिये जाने का उपबन्ध किया गया है। यह बात जरूर है कि वद्धि सम्बन्धी पेटेंट को स्वतंत्र पेटेंट के रूप में स्वीकृत किये जाने की दशा में, पेटेंट दिये जाने की तिथि से आवश्यक शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा (अर्थात् उस तिथि से जब वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट को स्वतंत्र पेटेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया।)

अनुभाग 56 में यह उपबन्ध है कि वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट देने से इनकार करने, वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट को वापस लेने या उसे अवैध करने का सिर्फ यह कारण नहीं हो सकता कि पूर्ण विशेष विवरण के तहत दावा किये गये आविष्कार में कोई आविष्कारपूर्ण अवस्था सम्मिलित नहीं है। साथ ही वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इसे एक स्वतंत्र पेटेंट की विषय–वस्तु होना चाहिये था। परन्तु,

वृद्धि सम्बन्धी पेटेंट हेतु आवेदन करते समय जमा किये गये पूर्ण विशेष विवरण के अन्तर्गत दावा किये गये आविष्कार की नवीनता का निर्धारण करते समय ''उस पूर्ण विशेष विवरण पर भी ध्यान दिया जायेगा जिसके माध्यम से मूल आविष्कार का वर्णन किया गया है।

5. गोपनीय पेटेंट (sectet patents)

यदि सरकार का ऐसा मानना है कि आवेदन जिस आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त करना चाहता है वह देश की सुरक्षा या संरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वह पेटेंट के अनुदान हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को निर्देश वापस लिये जा चुके है। उक्त अनुमति देते समय नियंत्रक को केन्द्र सरकार की पूर्व सम्मति लेनी पड़ेगी। परन्तु, अनुभाग 39 के उपलब्ध ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो भारत के बाहर रहता है और भारत के अतिरिक्त किसी देश में पेटेंट हेतु आवेदन करता है, भले ही प्रश्नगत आविष्कार ऐसा है जिसे सुरक्षा या परमाणु ऊर्जा के उद्देश्यों से प्रासंगिक माना जाये। अनुभाग 35 या 39 के प्रावधानों की अवहेलना का परिणाम यह होगा कि आवेदन पत्र को परित्यक्त मान लिया जाएगा या, पेटेंट के अनुदान ही स्थिति में, पेटेंट को रद्द करने लायक मान लिया जायेगा।

गोपनीय के सन्दर्भ में सरकार या पेटेंट नियंत्रक के आदेश अन्तिम होंगे और उनके विरूद्ध अपील नहीं होगी, न ही उनकी वैधता को किसी न्यायिक अदालत में चुनौती दी जा सकेगी (अनुभाग 41)। अन्त में, अनुभाग 42 में यह उपलब्ध है कि गोपनीय पेटेंटों के बारे में इस अधिनियम के किसी प्रावधान की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकेगी जिसका अर्थ '' परीक्षा नियंत्रक को गोपनीयता निर्देशो को लागू करने या उन्हें रद्द करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की सम्मति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी आवेदन पत्र या उसके विशेष विवरण के उद्घाटन'' से वंचित करना हो।

6. अवलंबिंत पेटेंट (Dependent Patents)

ऐसे पेटेंट, जिसका उपयोग किसी वर्तमान पेटेंट के अतिलंघन के बगैर नहीं हो सकता, के लिए पेटेंट कार्यालय से वर्तमान पेटेंट के उपयोग हेतु लाइसेंस लिये जाने की आवश्यकता पड़ती है। पेटेंट कार्यालय द्वारा उक्त लाइसेंस स्वतन्त्र रूप से दिया जा सकता है। परन्तु यदि वर्तमान पेटेंट का स्वामी भी पश्चाद्वर्ती पेटेंट के उपयोग हेतु लाइसेंस का इच्छुक हो तो, पेटेंट कार्यालय द्वारा उसे भी पश्चाद्वर्ती पेटेंट के उपयोग हेतु उसी प्रकार का लाइसेंस दिया जायेगा।

ऐसे पेटेंट को, जिसका स्वतन्त्र रूप से उपयोग नहीं हो सकता और जिसके सफल दोहन के लिए किसी पूर्ववर्ती पेंटेंट का उपयोग करना आवश्यक होता है, अवलम्बित पेटेंट की संज्ञा दी जाती है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुभाग 91 में उपबन्धित है कि (पूर्ववर्ती पेटेंट के) ऐसे लाइसेंस के बिना दूसरे पेटेंट (अर्थात् अवलंबित पेटेंट) का सफल प्रयोग करने से वंचित रहने की दशा में अवलंबित पेटेंट के पेटेंट धारक या लाइसेंस धारक द्वारा पूर्ववर्ती पेटेंट के उपयोग हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है।

उक्त लाइसेंस प्रदान करने के पूर्व इस बारें में पेटेंट नियंत्रक स्वंय को सुंतुष्ट करेगा कि अवलंबित पेटेंट का स्वामी पूर्ववर्ती पेटेंट धारक या उसके लाइसेंस धारक को युक्तियुक्त, शर्तो के अधीन, एक वैसा ही लाइसेंस देने की इच्छा रखता है जैसा लाइसेंस वह पूर्ववर्ती पेटेंट के उपयोग के बारें में स्वंय लेना चाहता है। दूसरा आविष्कार अर्थात् पश्चाद्वर्ता आविष्कार ऐसा होना चाहिये जिसने, नियंत्रक की राय में, भारत में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

जब नियन्त्रक उक्त प्रकार से संतुष्ट हो जाये तो उचित प्रतिबन्धनों के साथ, पूर्ववर्ती पेटेंट के तहत लाइसेंस प्रदान करने का आदेश दे सकता है और, यदि पूर्ववर्ती पेटेंट के स्वामी द्वारा आवेदन किया गया है तो, पश्चाद्वर्ती पेटेंट के बारें में भी एक वैसा ही ओदश निर्गत कर सकता है।

पूर्ववर्ती पेटेंट को संबद्ध पेटेंट और पश्चाद्वर्ती पेटेंट को अवलंबित पेटेंट कहते है। नियन्त्रक द्वारा प्रदत्र उक्त लाइसेंस, संगत पेटेंटों के समनुदेशन की स्थिति के अतिरिक्त, किसी भी स्थिति में समनुदेशित नहीं किया जा सकता है।

7. लघु पेटेंट
(Petty Patents)

ऊतक हम देख चुके हैं कि पेटेंट किसी उत्पाद या प्रक्रिया से सम्बन्धित हो सकता है। परन्तु, यदि किसी उन्त प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से उस पेटेंटकृत उत्पाद का कोई अन्य रूप प्राप्त होता है जो किसी न किसी प्रकार से उपयोगी है तो कुछ देशों में, पेटेंटीकृत उत्पाद की नयी डिजाइन या नये रचना–विन्यास

परन्तु0000000000000000000

पेटेंट योग्य आविष्कार
(PATENTABLE INVENTIONS)

पेटेंट किसी आविष्कार के बारें में प्राप्त होने वाला विशिष्ट अधिकार है। एक आविष्कार का किसी भी रूप में उपयोग करने के लिये पेटेंट आवश्यक होता है। आमतौर पर आविष्कार की नवीनता, अप्रकटकता तथा व्यापारिक अथवा औद्योगिक उपयोग की वह सिद्धांत है जिसके आधार पर आविष्कारक को पेटेन्ट अधिकार प्रदान किया जाता है। आविष्कार पेटेन्ट का विषय–वस्तु होता है जिसे पेटेंट के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया जाता है।

पेटेंट अधिनियम ,1970 की धारा 2 (1) (ञ) में'' आविष्कार'' शब्द की परिभाषा दी गई थी, जो इस प्रकार है–

आविष्कार से अभिप्रेत है कोई नवीन और उपयोगी–

(i) कला,प्रक्रिया, विनिर्माण का ढंग या तरीका;

(ii) मशीन, साधित्र (Apparatus) या अन्य वस्तु;

(iii) विनिर्माण द्वारा उत्पादित पदार्थ;

और इनमें से किसी का कोई नवीन और उपयोगी सुधार और कथित आविष्कार सम्मिलित है।

पेटेंट (संशोधन) अधिनियम,2002 द्वारा ''आविष्कार'' शब्द की उपर्युक्त परिभाषा के स्थान पर नई परिभाषा को प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिसके अनुसार, आविष्कार से अभिप्रेत है एक नवीन उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें आविष्कार सम्बन्धी कार्रवाई (inventive step) अन्तर्ग्रस्त है और जो औद्योगिक उपयोग के योग्य है। अधिनियम की धारा 2 (1) (ञ क) के अनुसार ''आविष्कार सम्बन्धी कार्यवाई'' से किसी आविष्कार का ऐसा अभिलक्षण अभिप्रेत है जिसमें विद्यमान ज्ञान की तुलना में तकनीकी–प्रोन्नति अन्तर्वलित है या जिसका आर्थिक महत्व है या दोनों है और जो आविष्कार को कला में कुशल व्यक्ति के लिये स्पष्ट नहीं बनाता है। आविष्कार से सम्बन्धित वस्तु के संदर्भ में पेटेन्ट परिनियमावली, 2003 के नियम 2 (ग) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार ''वस्तु'' (article) में कोई पदार्थ या सामान और कोई संयंत्र, मशीनरी या साधित्र (apparatus), चाहे भू–बद्ध हो या न हो, सम्मिलित है। इस प्रकार एक आविष्कार का सम्बन्ध मात्र उत्पाद से न होकर प्रक्रिया से भी होता है जिसका औद्योगिक उपयोग किया जा सके। किसी नवीन उत्पाद या उसके विनिर्माण की नवीन प्रक्रिया या किसी तकनीकी समस्या के समाधान को भी पेटेन्टीकृत किया जा सकता हैं। आविष्कार को ही पेटेन्टीकृत किया जाता है।

''नवीन आविष्कार'' से कोई आविष्कार या प्रौद्योगिकी अभिप्रेत है जिसका, पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिये आवेदन फाइल करने की तारीख से पूर्व, किसी दस्तावेज में प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है या देश में अथवा विश्व में अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है, अर्थात जिसकी विषय–वस्तु सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है या वह कला की स्थिति का भाग है।

पेटेंट कराने की 000

वे कौन से आविष्कार हैं, जिन्हें पेटेन्टीकृत नहीं किया जा सकता?

what are the inventions that may not be patented?

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 एवं धारा 4 के अन्तर्गत उन आविष्कारों को सूचीकृत किया गया है, जिन्हें पेटेन्ट योग्य अधिकार आविष्कार नहीं माना जाता है। धारा 3 के अनुसार–ऐसे आविष्कार निम्नलिखित हैं।

(1) ऐसे आविष्कार जो तुच्छ (frivolous) हैं या कोई चीज को स्थापित प्राकृतिक विधियों के प्रतिकूल होने का स्पष्ट तौर पर दावा करते है।

(2) ऐसा आविष्कार जो लोक स्वास्थ्य, सदाचार तथा नैतिकता के विरूद्ध होने के कारण मानव, पशु या कृषि जैविकी पर और स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

(3) किस वैज्ञानिक सिद्धान्त की खोज (Discovery) मात्र या अमूर्त सिद्धान्त का प्रतिपादन या प्रकृति में विद्यमान किसी जीवित या निर्जीव पदार्थ की खोज।

(4) किसी ज्ञात पदार्थ के नवीन रूप का मात्र प्रकटीकरण जो उस पदार्थ की ज्ञात क्षमता में वृद्धि नहीं करती है या किसी नवीन गुणधर्म का मात्र प्रकटीकरण या ज्ञात पदार्थ का नवीन उपयोग या ज्ञात प्रक्रिया, मशीन, साधित्र का उपयोग मात्र जब तक कि ऐसी प्रक्रिया नवीन उत्पाद का परिणाम नहीं देती है अथवा एक या अधिक अभिकारक का प्रयोग नहीं करता है।

पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, लवणों (Salts), ईस्टरों, ईथरों, बहुरूपों (Polymorphs), मेटाबोलाइटों (Metabolites) शुद्ध रूप (Pureform), कण का आकार (Particle Size), समावयवों (Isomers), समावयों के मिश्रणों, सम्मिश्रणों (Gomplexes), संयोगों (Comvinations) और ज्ञात पदार्थ के अन्य संजातों (Derivatives) का उसी पदार्थ के रूप में विचार किया जाता है, जब तक कि वे प्रभाव से सम्बन्धित गुणधर्मों में सार्थक रूप से भिन्न नहीं होते है।

(5) केवल मिश्रण के द्वारा प्राप्त किया गया पदार्थ जो उसके संघटकों (Components) की विशेषताओं का मात्र एकत्रीकरण (aggregation) करता है या पदार्थ उत्पादित करने की प्रक्रिया।

(6) एक–दूसरे से स्वतन्त्र रूप से काम करने वाले ज्ञात यन्त्रों का विन्यास (Arrangement); पुनर्विन्यास (Re-arrangement) या अनुलिपिकरण (Duplication),

(7) कृषि या बागवानी का तरीका;

(8) मनुष्यों की औषधीय (Mendicinal),शल्पक (Surgical), आरोग्यकर (Curative), रोग निरोधक (Prophylactic), नैदानिक या उपचार की प्रक्रिया या जानवरों के उपचार, जो उन्हें रोगमुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उत्पादों में वृद्धि करने की कोई प्रक्रिया।

(9) सूक्ष्मजीवों (Microrganism), जिसमें बीज विविधताएँ और किस्में और पादपों और पशुओं के उत्पादन या प्रजनन के लिए तत्वतः जैविक प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं, के अतिरिक्त पादप या पशु समूचा या उसका कोई भाग।

(10) गणितीय या कारबार का तरीका या स्वंय में कम्प्यूटर प्रोग्राम या गणना पद्धतियॉ (Algorithms)।

(11) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृतियॉ या अन्य कोई सौन्दर्यपरक रचना, जो भी हो, जिसमें चलचित्र कृतियॉ और टेलीविजन उत्पादन सम्मिलित है।

(12) मानसिक कार्य योजना या नियम या तरीका मात्र या खेलने का तरीका।

(13) सूचना का प्रस्तुतीकरण।

(14) समाकलित परिपथों की स्थलाकृति [To Prography]

(15) आविष्कार जो वास्तव में एक परम्परागत ज्ञान है।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार–परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित आविष्कार को पेटेंट अनुदत्र नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भीी आविष्कार को पेटेंट अनुदत्र किया जा सकता है जो नवीन, अप्रकट और उपयोगी है।

विश्वनाथप्रताप बनाम हिन्दुस्तान मेटल इन्डस्ट्रीज, A.I.R. 1982 S. C. 1944, की नजीर में यह मत व्यक्त किया गया कि पेटेन्ट विधि का मुख्य सिद्धान्त यह है कि पेटेन्ट आविष्कार नया तथा उपयोगी हो इसका तात्पर्य यह हुआ कि नवीनता (Novelty) तथा उपयोगिता (utility) आवश्यक तत्व है। वैध पेटेन्ट के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जो पेटेंट की मॉग कर रहा हो, वह उसका स्वंय आविष्कार कर्ता हो।

यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि निर्माण प्रकिया से सुधार होना चाहिए। पेटेन्ट पाने के लिए यह आवश्यक है कि खोज से नया पदार्थ जिसका पहले से किसी को ज्ञान न हो तथा वह सस्ता एवं उपयोगी हो। कई पदार्थों का मिश्रण कर लिया जावे और नया पदार्थ बनाया जावे लेकिन वह उपयोगी न हो, तो पेटेंट प्रदान नहीं किया जा सकता है।

ग्लोकेम इण्डस्ट्रीज लि. बनाम कैडिला हेल्थकेयर लि. के वाद में बम्बई उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि धारा 3 (घ) एक व्यापक प्रावधान है जो प्रौद्योगिकी के सभी क्षेंत्रों, जिसमें औषध विज्ञान (Pharmacology) सम्मिलित है, समाविष्ट करता है। धारा 3 (घ) के अन्तर्गत ''ज्ञात क्षमता में वृद्धि करने में'' पद से क्या अभिप्राय है इसे समझने मात्र के लिये व्याख्या मदद करती है। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर अवधारित किया कि यह व्याख्या तभी लागू होगी जबकि खोज औषध विज्ञान के क्षेत्र में की गयी हो। धारा 3–घ और उसकी व्याख्या से स्पष्ट है कि यदि औषध विज्ञान के क्षेत्र में खोज ज्ञात पदार्थं से की गयी है तो पेटेन्ट आवेदक को यह प्रमाणित करने का दायित्व होता है कि खोंज से उस पदार्थं की ज्ञात चिकित्सीय क्षमता में वृद्धि हुयी है। धारा 3 (घ) की व्याख्या 'क्षमता' शब्द को अधिक महत्व देती है। यह इस बात की जॉच करती है कि खोज आविष्कार है या नहीं। पेटेंट आवेदक को यह बात प्रमाणित करनी चाहिये कि खोज से उस पदार्थ की ज्ञात चिकित्सीय क्षमता में वृद्धि हुई है और यदि खोज ज्ञात पदार्थ के संजात (Derivative) से अन्यथा कुछ नहीं है तो यह प्रमाणित किया जाना चाहिये कि क्षमता के सम्बन्ध मे संजात के गुण–धर्म में महत्वपूर्ण अन्तर है।

पेटेंट प्राप्त करने की प्रकिया
(PROCEDURE FOR OBTAINING PATENT)

जब तक आविष्कार को पेटेंट प्राप्त नहीं होता है यह साम्पत्रिक अधिकार का स्वरूप ग्रहण नहीं करता है। पेटेन्ट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकिया का अनुसरण किया जाना अपेक्षित होता है–

1. आवेदन–पत्र का प्रस्तुतीकरण (Submission of application)
2. आवेदन–पत्रों का प्रकाशन (Publication of application)
3. आवेदन–पत्र की जॉच (Examination of application)
4. आवेदक को पेटेंट प्रदान किये जाने का विरोध (Opposition to grant of the patent to the applicant)
5. पक्षकारों की सुनवाई (Hering of the parties)
6. पेटेंट का अनुदान (Grant fo patent)

पेटेंट प्राप्त करने की प्रकिया
(Process of Obtaining Patent)

पेटेंट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रकिया का अनुसरण किया जाता है–

1. आवेदन–पत्र का प्रस्तुतीकरण (Submission of application)
2. आवेदन–पत्र का प्रकाशन (Publication of application)
3. आवेदन–पत्र की जॉच (Examination of application)
4. आवेदक को पेटेंट प्रदान किये जाने का विरोध (Opposition to grant of the patent to the application)
5. पक्षकारों की सुनवाई (Hearion of the paties)

6. पेटेंट का अनुदान (Grant of patent)

(1) आवेदन–पत्र का प्रस्तुतीकरण (Submission of Application)

पेटेंट से सम्बन्धित आवेदन–पत्र प्रस्तुतीकरण के प्रावधान पेटेन्ट अधिनियम 1970 की धारा 611 में उपबन्धित किए गए है। धारा 6 के अन्तर्गत पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले अधिकृत व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध किया गया है। धारा 7 आवेदन–पत्र को पेटेंट कार्यालय में दाखिल किये जाने, आवेदन–पत्र के प्रारूप और अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन पत्रों के बारे में प्रावधान करती है।

धारा 8 के अन्तर्गत विदेशी आवेदन–पत्रों की जानकारी और वचनबंध का उल्लेख है। धारा 9 के अन्तर्गत अनन्तिम और पूर्ण विनिर्देशों का उपबन्ध है जिसे आवेदन–पत्र दाखिल किये जाते समय संलग्न किया जाना चाहिए। धारा 10 अनन्तिम और पूर्ण विनिर्देश की अन्तर्वस्तुओं का विवरण जैसे, आविष्कार का वर्णन, प्रस्तुतीकरण का तरीका, आविष्कार का दावा और तकनीकी जानकारियों के प्रावधान के साथ आविष्कार के अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन–पत्र के बारें में प्रावधान प्रस्तुत करती है और धारा 11 के अन्तर्गत पूर्वता तिथि का उल्लेख किया गया है।

पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले अधिकृत व्यक्ति (Persons entitled to applg for Patents)

अधिनियम की धारा 6 (1) के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत होते है, ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित है–

(1) वास्तविक और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करने वाला व्यक्ति।
(2) वास्तविक और प्रथम आविष्कारक होने का दावा करने वाला किसी व्यक्ति का समनुदेशिती (Assignee)।
(3) उस मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि जो मृत्यु से तत्काल पूर्व पेटेंट के आवेदन के लिए अधिकृत था।

उपधारा (2) के अनुसार, पेटेन्ट के लिए आवेदन उपर्युक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा या कई व्यक्तियों द्वारा संयंक्त रूप से किया जा सकता है।

आवेदन का प्रारूप (Form of Application)

अधिनियम की धारा 7 (1) के अनुसार, पेटेन्ट के लिए प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में जो कि पेटेंट कार्यालय से प्रापत किया जा सकता है, सम्बन्धित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आवेदन–पत्र पेटेंट कार्यालय में दाखिल किया जाता है।

अनन्तिम और पूर्णविनिर्देश (Provisional and Complete specification)

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) प्रावधान करती है कि जहॉ पेटेंट के लिए आवेदन–पत्र के साथ अनन्तिम विनिर्देश दाखिल किया गया है, ऐसे आवेदन–पत्र दाखिल किए जाने की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण विनिर्देश दाखिल किया जाना चाहिए और उक्त समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है तो यह समझा जाता है, कि आवेदक ने पेटेंट के लिए आवेदन का परित्याग कर दिया है। अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अनन्तिम विनिर्देश की विषय वस्तु का प्रावधान है, जिसमें आविष्कार का प्रारम्भिक विवरण होता है। अनन्तिम विनिर्देश के पश्चात् पूर्ण विनिर्देश दाखिल किया जाता है।

(2) आवेदन का प्रकाशन (Publication of application)

अधिनियम की धारा 11 (क) की उपधारा (1) प्रावधान करती है कि अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पेटेंट के लिए आवेदन साधारण तौर पर ऐसी अवधि तक जो विहित की जाए, जनता को प्रकट नहीं किया जाता है। पेटेन्ट नियमावली 2003 के नियम 24 के अनुसार आवेदन दाखिल करने की तिथि से या आवेदन की पूर्वता तिथि से, जो भी पूर्वतर हो, 18 माह की अवधि तक पेटेंट के लिए आवेदन जनता में प्रकाशित नहीं किया जाता है।

आवेदक धारा 11 (क) की उपधारा (1) और उपधारा (3) उपबन्धों के अधीन विहित अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी समय विहित तरीके से आवेदन के प्रकाशन के लिए नियन्त्रक से निवेदन कर सकता है और नियन्त्रक ऐसे आवेदन का यथासम्भव शीघ्रता से प्रकाशित करता है।

जहॉ पर आवेदक द्वारा आवेदन के प्रकाशन के बारे में इस प्रकार निवेनद नहीं किया जाता है, आवेदन को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रकाशित किया जाता है।

(3) आवेदन–पत्रों का परीक्षण
(Examination of application)

अधिनियम की धारा 11 (ख) पेटेंट के लिए आवेदन के परीक्षण या जॉच के बारे में निवेदन किये जाने का प्रावधान करती हैं। आवेदक द्वारा परीक्षण के बारे में निवेदन आवेदन के प्रकाशन के पश्चात् लेकिन आवेदन की पूर्वता तिथि से या आवेदन दाखिल किये जाने की तिथि से 36 माह के भीतर या 1 जनवरी, 2005 से 12 माह के भीतर, जो भी पूर्वतर हो नियमावली में अन्तर्विष्ट प्रारूप 18 के अनुसार किया जाना चाहिए।

पेटेंट के लिए आवेदन की परीक्षा किये जाने के बारें में निवेदन किए जाने के पश्चात् नियन्त्रक, आवेदन, विनिर्देश या उससे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज परीक्षक के पास निम्नलिखित के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित करता है–

(i) क्या आवेदन और विनिर्देश और उससे सम्बन्धित अन्य दस्तावेज अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है।

(ii) क्या अधिनियम के अन्तर्गत पेटेन्ट अनुदत्र किये जाने के बारे में आपत्ति का कोई वैध है।

(iii) अधिनियम की धारा 13 के अधीन किए गए परीक्षण का परिणाम।

(iv) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाय।

परीक्षक नियन्त्रक द्वारा आवेदन का परीक्षण करने के बारे में संदर्भित किए जाने की तिथि से सामान्यतया 4 माह, 3 माह से अनधिक की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(4) आवेदन को प्रदत्र किये जाने का विरोध
(Opposition to grant of the patent to the application)

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 25 की उपधारा (1) के अनुसार, जहॉ पेटेन्ट के लिए कोई आवेदन प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन पेटेंट अनुदत्र नहीं किया गया है, तो कोई व्यक्ति लिखित रूप से नियन्त्रक के समक्ष अधिनियम की धारा 11 (क) के अन्तर्गत आवेदन के प्रकाशन की तिथि से 3 माह की अवधि के भीतर पेटेंट अनुदत्र किये जाने के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(6) पक्षकारों की सुनवाई
(Hearing of the Parties)

जहां पर किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा नियन्त्रक को विरोध की सुचना दी जाती है, नियन्त्रक ऐसे विरोध की सूचना के बारे में पेटेंटी को सूचित करता है तथा लिखित आदेश द्वारा एक विरोध बोर्ड (Opposition Board) गठित करता है। विरोध बोर्ड विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विरोध के सूचना की जॉच करता है और नियन्त्रक के पास अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। विरोध बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त होने पर नियन्त्रक पेटेन्टी और विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करता है। और सुनवाई के पश्चात् नियन्त्रक पेटेंट को जारी करने पर संसोधित या प्रतिसंहृत करने का आदेश देता है।

(7) पेटेंट का अनुदान
(Grant of Patent)

यदि पेटेंट के लिए आवेदन पेटेंट अनुदत्र किये जाने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, और नियन्त्रक द्वारा आवेदन को इंकार नहीं किया जाता है या आवेदन अधिनियम के किसी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं पाया जाता है,

तो आवेदक या संयुक्त आवेदन की दशा में आवेदकों का संयुक्त रूप में यथासम्भव शीघ्रता से पेटेंट अनुदत्र किया जाता है। जिस पर पेटेंट कार्यालय की मुद्रा और तिथि जिस पर अनुदत्र पेटेन्ट को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है अंकित होती है।

पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 43 के अनुसार पेटेंट अनुदत्र कर दिये जाने पर नियन्त्रक द्वारा इस तथ्य को प्रकाशित किय जाता है। कि पेटेंट अनुदत्र कर दिया गया है। और उसक पश्चात् पेटेंट आवेदन विनिर्देश और अन्य दस्तावेजो को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोल दिया जाता है।

अनुदान पश्चात् विरोध की कार्यवाही (Post- grant opposition pro)

पेटेंट अनुदत्र किए जाने के विरूद्ध आधार अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, पेटेंट अनुदत्र किये जाने के विरूद्ध निम्नलिखित आधारों पर अभ्यावेदान प्रस्तुत किया जा सकता है–

(1) यह कि पेटेंट के लिए आवेदक या किसी व्यक्ति, जिसके अधीन या द्वारा वह दावा करता है, ने आविष्कार या उसके किसी भाग को उससे या किसी व्यक्ति से या द्वारा वह दावा करता है, से सदाष अभिप्राप्त किया है।

(2) यह कि आविष्कार जहॉ तक पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत है, दावे की पूर्णता तिथि से पूर्व भारत में या अन्यत्र किसी अन्य दस्तावेज में प्रकाशित किया गया है।

(3) यह कि आवेक के दावे की पूर्णता तिथि से पूर्व उसके द्वारा दावा किया गया है और उसके दावे की पूर्वता तिथि आवेदक की पूर्वता तिथि से पूर्वतर है।

(4) यह कि आविष्कार जहां तक पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत है, प्रकट है और किसी आविष्कारशील उपाय को सम्मिलित नहीं करता है।

(5) यह कि आविष्कार जहां तक पूर्ण विनिर्देश में दावाकृत है भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात है या प्रयुक्त है,

(6) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे का विषय अधिनियम के अर्थ में आविष्कार नहीं है या अधिनियम के अन्तर्गत–पेटेंट योग्य नहीं है

(7) यह कि पूर्ण विनिर्देश आविष्कार या उसके ढंग, जिसके द्वारा इसे काम में लाना है, का पर्याप्त रूप से और स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करता है।

(8) यह कि आवेदक नियन्त्रक को धारा 8 के अन्तर्गत आवश्यक जानकारी प्रकट करने में असफल रहा है या ऐसी जानकारी प्रकट किया है,, जो उसकी जानकारी में मिथ्या है।

(9) यह कि कन्वेंशन आवेदन की दशा में कन्वेंशन देश में आविष्कार के संरक्षण के लिए प्रथम आवेदन की तिथि से 12 माह के भीतर आवेदक द्वारा आवेदन नहीं किया गया है।

(10) यह कि पूर्ण विनिर्देश में आविष्कार के लिए प्रयुक्त जैविक सामग्री की भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है या गलत तौर पर उल्लेख किया गया है।

पेटेंट का अनुदान
(Grant of Patent)

जहॉ पेटेन्ट के लिए आवेदन पेटेंट अनुदत्र किए जाने के लिए उपयुक्त पाया जाता है और नियंत्रक द्वारा आवेदन को इंकार नहीं किया जाता है या आवेदन को अधिनियम के किसी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं पाया जाता है तो आवेदक या संयुक्त आवेदन की दशा में आवेदकों को संयुक्त रूप से यथासम्भव शीघ्रता से पेटेंट अनुदत्र किया जाता है जिस पर पेटेंट कार्यालय की मुद्रा (Seal) और तिथि, जिस पर अनुदत्र पेटेंट को रजिस्टर में दर्जा किया जाता है, अंकित होती है।

पेटेंट अनुदत्र कर दिए जाने पर नियंत्रक द्वारा इस तथ्य को प्रकाशित किया जाता है कि पेटेंट अनुदत्र कर दिया गया है और तत्पश्चात् पेटेंट आवेदन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोल दिया जाता है।

मृत आवेदक को अनुदत्र पेटेंट का संशोधन
(Amendement of patent granted to deceased applicant)

धारा 44 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन आवेदन क अनुसरण में पेटेंट अनुदत्र किए जाने के पश्चात् किसी समय यदि निंयत्रक का समाधान हो जाता है कि व्यक्ति जिसे पेटेंट अनुदत्र किए गय था, मर चुका है या कि नियमित निकाय की दशा में पेटेंट अनुदत्र किए जाने से पूर्व निकाय का अस्तित्व समाप्त हो गया था तो नियंत्रक उस व्यक्ति का नाम प्रतिस्थापित करने हुए पेटेंट में ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख कर सकता है जिसके नाम में पेटेंट अनुदत्र होना चाहिए था। धारा 44 के अन्तर्गत पेटेंट में संशोधन के लिए आवेदन प्ररूप–10 में पेटेंट और सिद्ध करने वाले साक्ष्य के साथ दिया जाता है।

पेटेंट का प्ररूप, विस्तार और प्रभाव
(form extent an effect of patent)

एक पेटेंट केवल एक आविष्कार के लिए ही अनुदत्र किया जाता है। प्रत्येक पेटेंट अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विहित प्ररूप में होता है। पेटेंट का प्रभाव सम्पूर्ण भारत में होता है। पेटेंट अनुदत्र किए जाने पर आवेदन पर एक संख्या अंकित की जाती है जिसे क्रमांक कहते है और वही अनुदत्र पेटेंट की संख्या होती है।

पेटेंट की अवधि
(Term of Patent)

पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के पवृत्त होने से पूर्व भारत में सभी आविष्कारों के लिये पेटेंट की अवधि एक समान नहीं थी। विश्व व्यापार संगठन के करार की बाध्यता के कारण पेटेंट की अवधि संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रत्येक पेटेंट जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई हैं और जो इस अधिनियम के प्रवृत्ति होने की तिथि पर प्रभावहीन नहीं हुई है पेटेंट के लिये आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्ष निश्चित की गई है।

भारत का नामनिर्दिष्ट करते हुए पेटेंट सहयोग संधि के अधीन दाखिल अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों की दशा में पेटेंट की अवधि ऐसा आवेदन दाखिल करने की तिथि से 20 वर्षा है।

यदि पेटेंट के नवीकरण के बारे में नवीकरण फीस के भुगतान के लिए विहित अवधि की समाप्ति पर नवीकरण फीस का भुगतान विहित अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो पेटेंट निष्प्रभावी हो जाता है।

नवीकरण फीस का भुगतान न करने के फलस्वरूप पेटेंट अधिकार की समाप्ति पर या पेटेंट की अवधि बीत जाने पर कथित पेटेंट द्वारा आवृत विषय–वस्तु किसी प्रकार के संरक्षण के लिए अधिकृत नहीं होती है।

विनिर्देश
(SPECIFICATION)

विनिर्देश पेटेंट सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया में एक निर्णायक विधिक एवं तकनीकी दस्तावेज होता है। आविष्कार की व्याख्या करने के लिये उसका वर्णन महत्वपूर्ण होता है और जिस दस्तावेज द्वारा आविष्कार का वर्णन किया जाता है उसे विनिर्देश कहते है। आविष्कार की व्याख्या इसलिये आवश्यक होती है ताकि पेटेंट की अवधि बीत जाने के पश्चात् आविष्कार का उपयोग सार्वजनिक रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सके। यह पेटेंट के लिये आवेदन का सारवान् भाग होता है। पेटेंट तब तक अनुदत्र नहीं किया जाता है जब तक कि पेटेंट के लिये आवेदक अपने आविष्कार को पूर्णतः प्रकट नहीं करता है। विनिर्देश के द्वारा की आविष्कार की नवीनता और उपयोगिता का निर्धारण किया जाता है। विनिर्देश में आविष्कार का वर्णन वस्तुतः अनुदत्र पेटेंट के

अनन्य अधिकार के बदले में प्रतिफल होता है, अर्थात् जब तक आवेदक द्वारा आविष्कार का वर्णन नहीं प्रस्तुत किया जाता है, आविष्कार को पेटेंटीकृत नहीं किया जाता है।

विनिर्देश के दो मुख्य भाग होते है– (1) वर्णन या विवरण (description) जिसके साथ आरेख या रेखाचित्र संलग्न हो सकते है; और (2) दावे (Claims)। वर्णन के द्वारा उसका अध्ययन करने के बाद उसे सम्पादित किया जा सके। और दावे के माध्यम से पेटेंट के बारे में एकाधिकार के क्षेत्र को सुनिश्चित एवं सीमांकित किया जाता है। यदि किसी आविष्कार में सूक्ष्मजीव (micro-organism) का उपयोग समाविष्ट है तो इसका नमूना मान्यता प्राप्त संवर्धन निक्षेपागार (culture despository) में जमा किया जाना आवश्यक होता है

पेटेंट विनिर्देश की प्रकृति
(Nature of patent specification)

पेटेंट विनिर्देश आविष्कार का वर्णन मात्र नहीं होता है बल्कि एक तकनीकी और विधिक दस्तावेज होता है। पेटेंट अनुदत्र कियें जानें से पूर्व नियंत्रक के निर्देश पर परीक्षक द्वारा आविष्कार के नवीन एवं उपयोगी होने के बारें में विनिर्देश की आवश्यक जॉच एवं परीक्षा की जाती है और परीक्षक के सन्तुष्ट होने पर ही आविष्कार के अस्तित्व का निर्धारण होता है कि पेटेंट के लिये आवेदन स्वीकार्य है अथवा नहीं। विनिर्देश का महत्व उस समय स्पष्ट होता है जब किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्देश का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि विनिर्देश के अन्तर्गत आाविष्कार का पूर्ण, पर्याप्त और सन्तोषप्रद वर्णन नहीं किया गया है। इसलिये यह आवयश्क होता है कि विरोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत विरोध का प्रतिवाद करने के लिये विनिर्देश में आविष्कार का पूर्ण एवं पर्याप्त वर्णन किया जाए।

आविष्कार का वर्णन क्रमवार और दावे का प्ररूपण सभी आवश्यक विवरणों के साथ सरल और स्पष्ट भाषा में किया जाना चाहिये और अस्पष्टया से बचना चाहिये। भले ही वर्णन पूर्ण और विस्तृत हो आविष्कार के कार्य पद्धति की स्पष्ट व्याख्या आवश्यक होती है। यह भी आवश्यक होता है यह भी आवश्यक होता है कि विनिर्देश में आविष्कार के कार्यप्रणाली और प्रक्रिया के लिये एक पृथक पैरा समाविष्ट किया जाए। दावों का निर्धारण एवं प्ररूपएण,जिस पर एकाधिकार का क्षेत्र निर्भर करता है, पर्याप्त ज्ञान और सावधानी से होना चाहिए। इस प्रकार विनिर्देश का प्ररूपण एक तकनीकी प्रकृति का कार्य है।

विनिर्देश की स्वीकृति के आधार पर ही अन्ततोगत्वा पेटेन्ट अनुदत्र किया जाता है। पेटेन्ट विधि का सृजन है। विधि द्वारा पेटेंट अधिकारों को स्वीकृति और मान्यता प्रदान की जाती है। इसलिये विनिर्देश के आधार पर प्रदत्र पेटेंट अधिकारों के प्रवर्तन में विधि की शक्ति निहित होती है। जो पेटेंट की प्रकृति को विधिक बना देती है। विनिर्देश आविष्कार की प्रकृति को सुनिश्चित करता है।

विनिर्देश के प्रकार
(Kinds of Specification)

अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वर्णन की पर्याप्यता के आधार पर निम्नलिखित दो प्रकार के विनिर्देशों का उल्लेख किया गया है–

(1) अनन्तिम विनिर्देश (Provisional specification)

(2) पूर्ण विनिर्देश(Complete specification)

(1) अनन्तिम विनिर्देश
(Provisional Specification)

अनन्तिम विनिर्देश दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य पूर्वता तिथि निश्चित करना होता है जिसके आधार पर नियंत्रक आविष्कार को पेटेंट अनुदत्र करने में में प्राथमिकता देता है। यदि समान विषय के बारे में कई व्यक्तियों द्वारा आविष्कार पर कार्य किया जा रहा है तो जो व्यक्ति अनन्तिम विनिर्देश पहले दाखिल करता है, आविष्कार पूर्ण होने की दशा में उसके आविष्कार को पेटेंट अनुदत्र किया जाता है। जिस तिथि को अनन्तिम विनिर्देश

नियंत्रक के समक्ष दाखिल किया जाता है, उसे पूर्वता तिथि (Priority date) कहते हैं। जब आविष्कारक अपने आविष्कार को अन्ति विनिर्देश का पूर्ण और विशिष्ट होना आवश्यक नहीं है। इसमें आविष्कार का साधारण वर्णन, आविष्कार की प्रकृति इसके उपयोजन का क्षेत्र और पूर्वानुमानित परिणामों का उल्लेख किया जाना पर्याप्त होता है। इसमें दावे को सम्मिलित करना आवश्यक नहीं होता है।

जब अनन्तिम विनिर्देश दाखिल कर दिया जाता है तो आवेदक द्वारा अधिकतम 15 माह के भीतर पूर्ण विनिर्देश दाखिल करना आवश्यक होता है। धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनिर्देष्ट समय के अवधि की गणना सबसे पहले दाखिल किए गए अनन्तिम विनिर्देश की तिथि से की जाती है। इस अवधि के दौरान वह आविष्कार की विषय–वस्तु के बारे में और आगे अनुसंधान कर सकता है, आविष्कार को उपयोग में लाने के तरीके को परिष्कृत कर सकता है और आविष्कार में परिवर्धन (Addition) कर सकता है, जिसका उल्लेख पूर्ण विनिर्देश दाखिल करते समय किया जा सकता है। यदि उपर्युक्त अवधि के दौरान आवेदक द्वारा पूर्ण

अनन्तिम विनिर्देश दाखिल करने की आवश्यकता (Need to file Provisional Specification)

अनन्तिम विनिर्देश पेटेंट की पूर्वता तिथि नियत करने के लिये दाखिल किया जाता है। पेटेंट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पेटेंट उसी आवेदक को अनुदत्र किया जाता है जो सर्वप्रथम पेटेंट के लिये आवेदन अनन्तिम विनिर्देश के साथ दाखिल करता है। समान आविष्कार के बारें में ऐसे आवेदक को पेटेंट अनुदत्र नहीं किया जाता है। जो आवेदन बाद में दाखिल करता है। पेटेंट के लिये आवेदन करने की तिथि पूर्वता तिथि होती है। पेटेंट के लिये आवेदन अन्य बातों के साथ अनन्तिम या पूर्ण विनिर्देश के साथ दाखिल किया जाता है। पूर्वता तिथि के लिये विनिर्देश में दावे का उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है, इसलिये जहां पेटेंट के लिये आवेदन पूर्ण विनिर्देश संलग्न करते हुये किया जाता है पूर्वता तिथि वह तिथि होती है, जिस तिथि पर पूर्ण विनिर्देश दाखिल किया जाता है। यदि पूर्ण विनिर्देश में किया गया दावा अनन्तिम विनिर्देश में प्रकट किये गये विषय पर स्पष्टतः आधारित है तो सामान्यतया अनन्तिम विनिर्देश दाखिल करने की तिथि पूर्वता तिथि होती है।

(2) पूर्ण विनिर्देश (Complete Specification)

आविष्कार का पूर्ण और पर्याप्त वर्णन,जिसमें वे सभी दावे अन्तर्विष्ट होते हैं, जिसके बारे में आवेदक एकाधिकार चाहता है, पूर्ण विनिर्देश कहलाता है। पूर्ण विनिर्देश का उद्देश्य एकाधिकार, जिसका दावा किया गया है, का स्पष्ट और संक्षिप्त वर्णन करना चाहता है ताकि आवेदक के एकाधिकार की निश्चित सीमाओं के बारे में अन्य को जानकारी प्राप्त हो सके। पूर्ण विनिर्देश में दावे से सम्बन्धित अनुच्छेद एकाधिकार को परिभाषित करता है। 0000000

अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्देश की विषय–वस्तु का उल्लेख किया गया हैं, जिसकी उपधारा (1) के अनुसार प्रत्येक विनिर्देश, चाहे अनन्तिम हो या पूर्ण, में आविष्कार का पूर्ण वर्णन होना चाहिये और विनिर्देश ऐसे शीर्षक से प्रारम्भ होना चाहिये जो आविष्कार से सम्बन्धित विषय–वस्तु के बारे में पर्याप्त जानकारी दे सके। प्रत्येक पूर्ण विनिर्देश में आविष्कार के शीर्षक के अतिरिक्त निम्नलिखित के बारे में उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है–

(क) आविष्कार का पूर्ण और विशिष्ट वर्णन किया जाना चाहिये और उसके संचालन, उपयोग और तरीके, जिससे इसे सम्पादित किया जाना हो, का उल्लेख होना चाहिये;

(ख) आविष्कार को सम्पादित करने का उत्रम तरीका जो आवेदक को ज्ञात हो और जिसके बारे में संरक्षण का दावा करने के लिए वह अधिकृत है, का प्रकटीकरण किया जाना चाहिये; और

(ग) पूर्ण विनिर्देश आविष्कार, जिसके संरक्षण का दावा किया गया है, के क्षेत्र को परिभाषित करने वाले दावे या दावों के साथ समाप्त होना चाहिए।

(घ) पूर्ण विनिर्देश के साथ आविष्कार से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिये सारांश (Abstract) संलग्न होना चाहिये।

नियंत्रक पूर्ण विनिर्देश के साथ संलग्न को तीसरे पक्षकार को बेहतर जानकारी प्रदान करने के लिये संशोधित कर सकता है; और यदि आवेदक विनिर्देश में ऐसी जैविक साम्रगी का उल्लेख करता है जिसका ब्यौरा समाधनप्रद तरीके से नहीं दिया जा सकता है और ऐसी सामग्री जनता को उपलब्ध नहीं है तो आवेदक के साथ ऐसी साम्रगी को बडापेस्ट संधि के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय निक्षेपागार प्राधिकारी के पास जमा करना आवश्यक होता है।यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आवेदन अपूर्ण समझा जाता है। साम्रगी जमा करते समय निम्रलिखित शर्ते पूरी की जानी चाहिए, यथा–

(i) भारत में पेटेंट के लिये आवेदन करने से पूर्व सामग्री को जमा करना चाहिये और विहित समय के भीतर विनिर्देश में सामाग्री का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(ii) साम्रगी की पहचान के लिये आवश्यक सभी लक्षणों का उल्लेख विनिर्देश में किया जाना चाहिये। साथ ही प्राधिकृत निक्षेपागार का नाम एवं पता, सामग्री की निक्षेप संख्या और दिनांक भी दिया जाना चाहिये;

(iii) भारत में पेटेंट के लिये आवेदन की तिथि के पश्चात् सामग्री तक अभिगमन (Access) उपलब्ध होना चाहिये या यदि पूर्विकता का दावा किया जाता है तो पूर्वता तिथि के पश्चात् अभिगमन होना चाहिये;

(iv) आविष्कार में प्रयुक्त जैविक सामग्री के स्त्रोत एवं भौगोलिक उद्गम स्थल को विनिर्देश में प्रकट किया जाना चाहिए।

भारत नाम निर्दिष्ट करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की दशा में आवेदन के साथ स्वत्व, विवरण, रेखाचित्र, संक्षिप्त सार और दावों के साथ दाखिल विनिर्देश को पूर्ण विनिर्देश के रूप में लिया जाता है।

एक पूर्ण विनिर्देश के अन्तर्गत दावा एकल आविष्कार से सम्बन्धित होना चाहिये या आविष्कारों के वर्ग से जो इस प्रकार सम्बद्ध हों कि एकल आविष्कार का रूप धारण करते हों। दावा स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिये और विनिर्देशों में प्रकट किये गये विषय पर आधारित होना चाहिये।

विनिर्देश का अर्थान्वयन
(Construction of specification)

विनिर्देश आविष्कार का सारतत्व है। इसके द्वारा आवेदक के एकाधिकार का सीमांकन किया जाता है। एकाधिकार की सीमा से बाहर किसी बात के लिये आवेदक द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार विनिर्देश की सीमा के भीतर आवेदक के एकाधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिये अनन्य अधिकारों के सृजन और ऐसे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये विनिर्देश का प्ररूपण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है।

विनिर्देश के अर्थान्वयन की आवश्यकता पेटेंट की वैधता को निर्धारित करते समय होती है। विनिर्देश के अर्थान्वयन का उद्देश्य आवेदक द्वारा वर्णित आविष्कार और दावे या दावों की स्थिति स्पष्ट एवं सुनिश्चित करना होता है। अर्थान्वयन आविष्कार की विषय–वस्तु और समय विशेष पर उसके बारे में जानकारी की स्थिति के सन्दर्भ में किया जाता है। विनिर्देश का अर्थावन्यन करते समय समग्र तरीके से, जिसमें आरेख, रेखाचित्र या आकलन भी सम्मिलित होती है, विचार किया जान चाहिये।

पेटेंट विनिर्देश का अर्थान्वयन सोद्देश्य होता है। यह आवेदक द्वारा लिखित रूप में एकपक्षीय कथन होता है जो ऐसे व्यक्तियों को सम्बोधित होता है जिन्हें आविष्कार की विषय–वस्तु में व्यावहारिक रूचि होती है, इसलिये पेटेंट विनिर्देश का अर्थान्वयन मात्र शाब्दिक न होकर सोद्देश्य होना चाहिये। अनावश्यक शाब्दिक विश्लेषणों के प्रयोग से बचना चाहिये।

इस प्रकार, विधिक दृष्टि से विनिर्देश में दावा तकनीकी तथ्य और एकाधिकार के क्षेत्र का संक्षिप्त विधिक कथन होती है इसके लिये यह आवश्यक है कि आविष्कार के क्षेत्र की विधिक शब्दों में विवेचना होनी चाहिये। दावा संक्षिप्त और एकल अर्थ रखने वाला होना चाहिये। अर्थान्वयन में सार एवंत त्व के सिद्धान्त का पालन किया जाता है और पेटेंट विनिर्देश के बारें में दस्तावेजों के अर्थान्वयन के सामान्य नियमों को लागू किया जाता है।

विनिर्देश के अर्थावन्यन से सम्बन्धित सिद्धान्त निम्रलिखित है–

1. पूर्ण विनिर्देश को विनिर्देश के प्रकाशन की तिथि पर विद्यमान सभी परिस्थितियों के सन्दर्भ में पश्चात्वर्ती अतिलंघन या पेटेंटी के आचारण पर ध्यान दिये बिना पूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिये। उत्पाद की नवीनता दावे का सार एवंत त्व होता है।

2. दावा स्वतः पेटेंट द्वारा अनुदत्र एकाधिकार की विधिक सीमाओं को निर्दिष्ट करता है। यदि आवेदक कुछ दावा करने में असफल रहता है जो उसे अदावकृत (Unclaimed) समझा जाता है। वह उन लक्षणों के बारे में बाद में दावा नहीं कर सकता, जिसका दावे के भाग के रूप में उल्लेख करने में वह असफल रहा है,
3. दावे की भाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिये।
4. विनिर्देश कला में दक्ष व्यक्ति, जिसके ज्ञान का स्तर आविष्कार के समय क्षेत्र विशेष में कला की स्थिति तक विस्तृत होता है, को सम्बोधित होना चाहिये। आविष्कार की नवीनता और अप्रकटता का निर्धारण ऐसे व्यक्ति के ज्ञान के स्तर के सन्दर्भ में किया जाता है।
5. पेटेंटी या उसके साक्षियों का व्यक्तिनिष्ठ विचार दावों का अर्थान्वयन करने के बारे में सारहीन होता है।
6. विनिर्देश की व्याख्या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा की जाती है। न्यायालय विनिर्देश में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों या विशिष्ट निबंधनों की व्याख्या के लिये विशेषज्ञ साक्ष्य ग्रहण कर सकता है।
7. यदि अन्य पक्षकार पेटेंट की अवैधता का अभिवचन करने के लिए पूर्ण विनिर्देश के अतिरिक्त दस्तावेजों पर आश्रित रहता है, तो ऐसे दस्तावेज अग्राह्य होते है।
8. दावे का अर्थ पेटेंट के अतिलंघन के प्रयोजन के लिये या पेटेंट की वैधता को चुनौती दिये जाने पर दोनों स्थितियों में, समान होना चाहिये।

अर्थावन्यन की दृष्टि से दावों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(i) मुख्य दावा (Main claim)– मुख्य दावे के अन्तर्गत आविष्कार के बारे में यथासम्भव विस्तारपूर्वक उल्लेख किया जाता है।

(ii) गौण दावा'' (Subrodinate claim)– गौण दावे में, आविष्कार के अतिरिक्त लक्षणों या विशेषताओं का वर्णन किया जाता है।

(1) बहुप्रयोजनीय दावा (Omnibus claim)– बहुप्रयोजनीय दावा आविष्कार के आरेख या रेखाचित्र में प्रकट किये गये या वर्णित किसी तात्विक व्यवस्था या रूपान्तरण से सम्बन्धित होता है। यह दावा आवेदक को समान विकल्पों के सृजन द्वारा उसके आविष्कार का अतिलंघन किये जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।
(2) किसी प्रक्रिया का जिसके बारे में पेटेंट अनुदत्र किये गया है, सरकार की ओर से या द्वारा इसके स्वयं के उपयोग के प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा सकता हैः
(3) किसी मशीन, साधित्र या अन्य वस्तु जिसके बारे में पेटेंट अनुदत्र किया गया है, का किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग या अनुसंधान, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जाना सम्मिलितत है, के प्रयोजन मात्र के लिये उपयोग किया जा सकता है; और
(4) किसी औषध (Medicine) या औषधि (Drug) से सम्बन्धित पेटेंट की दशा में सरकार द्वारा स्वयं अपने उपयोग के प्रयोजन मात्र के लिये किसी औषधालय, चिकित्सालय या अन्य चिकित्सकीय संस्थान जिन्हें सरकार द्वारा या की ओर से सम्पोषित किया जाता है या किसी अन्य औषधालय, चिकित्सालय या अन्य चिकित्सीय संस्थान जिनके द्वारा अर्जित की जाने वाली लोक सेवा को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे मे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, में वितरण हेतु औषध या औषधियों का आयत किया जा सकता है।

पेटेंटी को प्राप्त अनन्य अधिकार

यदि किसी आविष्कारक द्वारा पेटेंट के लिए आवेदन नहीं किया जाता है, तो वह अपने आविष्कृत उत्पाद या प्रक्रिया के विनिर्माण और विपणन का अधिकार रखता है, लेकिन पेटेंट अधिकार के अभाव में वह अन्य को उस उत्पाद या प्रक्रिया के विनिर्माण और विपणन करने से अवरूद्ध नहीं कर सकता हैं। इस प्रकार अनुदत्र पेटेंट स्वतः पेटेंटी, उसके अभिकर्ता या अनुज्ञप्तिधारी को भारत में आविष्कार का उपयोग, प्रयोग, विक्रय और वितरण का अनन्य अधिकार प्रदान करता है।

अधिनियम की धारा 47 के अनुसार पेटेंट को प्रदत्र सभी अधिकार सशर्त होते है। धारा 47 के अन्तर्गत उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके अधीन पेटेंटी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

(1) पेटेंट का उपयोग करने का आविष्कार

(Right to exploit the patent);

(2)पेटेंट की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार

(Right to licence the patent);

(3) पेटेंट के समनुदेशन का अधिकार

(Right to assign the patent);

(4) पेटेंट के अभ्यर्पण का अधिकार

(Right to surrender the patent);

(5) पेटेंट के अतिलंघन के विरूद्ध वाद लाने का अधिकार

(Right to sue for the infringement of the patent)

पेटेंट को प्रदत्र अनन्य अधिकार के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार आते है–

(1) पेटेंट का उपयोग करने का अधिकार
(Right to exploit the Patent)

कोई व्यक्ति जो आविष्कार करता है, वह उसे उपयोग करने या उससे वस्तुऍ बनाने, विपणन करने आदि का सामान्य अधिकार रखता है, लेकिन पेटेंट की प्राप्ति के पश्चात् इस अधिकार की प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, और पेटेंट के अतिरिक्त आविष्कार का उपयोग अन्य व्यक्तियों द्वारा पेटेंटी की सम्मति के बिना नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 48 पेटेंटी या उसके अनुज्ञप्तिधारी या उसके समनुदेशिती या उसके अभिकर्ता को पेटेंट का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करती है।

(2) पेटेंट की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार
(Right to licena to Patent)

अधिनियम की धारा 70 यह उपबन्ध करती है, कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पेटेंट के सह–स्वामित्व से सम्बन्धित उपबन्धों के अध्यधीन और किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी सूचना रजिस्टर में दर्ज है, में निहित किन्हीं अधिकारों के अध्यधीन पेटेंट के प्राप्तिकर्ता (Grantee) या स्वत्वधारी (Proprieter) के तौर पर पंजीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों को पेटेंट का समअनुदेशन, अनुज्ञप्ति अनुदत्र करने या अन्यथा व्यवहार करने और ऐसे किसी समनुदेशन, अनुज्ञप्ति या व्यवहार के लिए किसी प्रतिफल के लिए प्रभावी रसीदें देने की शाक्ति प्राप्त होती है।

उदाहरणार्थ– एक नवीन ध्वनिन्त्र के आविष्कारक पेटेंटी को किसी अन्य व्यक्ति को पेटेंट का उपयोग, विनिर्माण और विक्रय करने के अधिकार के बारे में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अधिकार होता है।

(3) समनुदेशन का अधिकार
(Right to Assign)

पेटेंट अधिनियम की धारा 70 पेटेंटी को अपना पेटेंट किसी अन्य को पूर्णतः या भागतः समनुदेशित करने का अधिकार प्रदान करती है। समनुदेशन सदैव अभिव्यक्तः और लिखित करार द्वारा किया जाना चाहिए।

(4) पेटेंट के अभ्यर्पण का अधिकार
(Right to Surrender the Patent)

पेटेंट अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, पेटेंटी किसी भी समय नियन्त्रक को सूचना देते हुए अपने पेटेंट के अभ्यर्पूण का प्रस्ताव कर सकता है। जिसका कारण पेटेंट के स्वामी का पेटेंट की पूरी अवधि के लिए अपने एकाधिकार रखने के दायित्व के अधीन नहीं होना है।

नियन्त्रक अभ्यपर्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को भारत में प्रकाशित करता है, ताकि किसी हितबद्ध व्यक्ति, जैसे– अनुज्ञप्तिधारी का अभ्यर्पण के प्रस्ताव का विरोध करने का अवसर प्राप्त हो सके।

(5) वाद लाने का अधिकार
(Right to sue)

पेटेंट अधिनियम की धारा 104 के अन्तर्गत पेटेंटी, उसके समनुदेशती, अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता को पेटेंट के अतिलंघन की दशा में जिला न्यायालय के समक्ष सिविल वाद दायर करने का अधिकार होता है।

पेटेंट का अनुदान कतिपय शर्तो के अधीन होना
(Grant of patents to be subject to certain conditions)

अधिनियम की धारा 47 के अनुसार पेटेंटी को प्रदत्र सभी अधिकार सशर्त होते हैं। धारा 47 के अन्तर्गत उन शर्तें का उल्लेख किया गया है। जिनके अधीन पेटेंटी अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। धारा 47 के अनुसार,
(1) कोई, मशीन साधित्र या अन्य वस्तु जिसके बारे में पेटेंट अनुदत्र किया गया है या कोई वस्तु जिसे किसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुये बनाया गया है जिसके बारे में पेटेंट अनुदत्र किया गया है उसे सरकार की ओर से या द्वारा आयात किया जा सकता है या उसके स्वयं के उपयोग के प्रयोजन के लिये बनाया जा सकता है;
(2) किसी प्रक्रिया का जिसके बारे में पेटेंट अनुदत्र किया गया है, सरकार की ओर से या द्वारा इसके स्वयं के उपयोग के प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा सकता है;
(3) किसी मशीन, साधित्र या अन्य वस्तु जिसके बारे में पेटेंट अनुदत्र किया गया है या किसी प्रक्रिया का उपयोग करते हुये बनाई गये किसी वस्तु जिसके बारे में पेटेंट अनुदत्र किया जाता है
(4) किसी औषध (medicine) या औषधि (drug) से सम्बन्धित पेटेंट की दशा में सरकार द्वारा स्वयं अपने उपयोग के प्रयोजन मात्र के लिये या किसी औषधालय, चिकित्सालय या अन्य चिकित्सकीय संस्थान जिन्हें सरकार द्वारा या की ओर से सम्पोषित किया जाता है या किसी अन्य औषधालय, चिकित्सीय संस्थान जिसके द्वारा अर्जित की जाने वाली लोक सेवा को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, में वितरण हेतु औषध या औषधियों, का आयात किया जा सकता है।
''औषध या औषधि'' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं–
(i) मनुष्यों या पशुओं के आन्तरिक या बाह्य उपयोग के लिये सभी औषधियां;
(ii) सभी पदार्थं जो मनुष्यों या पशुओं में रोग के निदान, उपचार, शमन या निवारण के लिये या उसमें उपयोग के लिये आशयित है;
(iii) ''सभी पदार्थ जो लोक स्वास्थ्य के अनुरक्षण या मनुष्यों या पशुओं में किसी महामारी के निवारण या नियन्त्रण के लिये या उनमें उपयोग के लिये आशयित हैं;
(iv) कीटनाशी (insecticides), रोगाणुनाशी (germicides), कवकनाशी (fungicides), घासपातनाशी (weedicides) और सभी अन्य पदार्थ जो पौधों के संरक्षण या परिरक्षण में उपयोग के लिये आशयित है;
(v) वे सब रासायनिक पदार्थं जो ऊपर निर्दिष्ट औषधियों या पदार्थों में से किसी की तैयारी या विनिर्माण में आमतौर से मध्यवर्तियों के रूप में प्रयोग में लाये जाते है।

अपवाद एवं सीमायं
(Exception and limitaions)

अधिनियम के अन्तर्गत पेटेंटी को आविष्कार के विनिर्माण, उपयोग तथा विक्रय आदि के सम्बन्ध में अनन्य अधिकार प्रदान किया गया है फिर भी पेटेंटी को प्राप्त अनन्य अधिकार के प्रयोग पर अधिनियम के विभिन्त्र उपबन्धों द्वारा कुछ सीमायें भी अधिरोपित की गई हैं जो निम्रलिखित हैं–
(1) पेटेंट का शासकीय उपयोग (Government use of patent);

(2) अनिवार्य अनुज्ञप्तियॉ और अधिकारों की अनुज्ञप्ति (Compulsory licences and licences of right);
(3) रक्षा प्रयोजनों के लिये आविष्कार का उपयोग (Use of invention for defence purposes)
(4) प्रयोग, अनुसंधान आदि के लिये उपयोग (Use for experiment, research,etc.);
(5) पेटेंट का काम बंद कर देने पर प्रतिसंहरण (Revocation for non-working of patent); और
(6) पुनः स्थापित पेटेंट पर निर्बन्धन (Restrictions on restored patent)

अनुवार्य अनुज्ञप्तियॉ
(compulsory Licences)

पेटेंटी को पेटेंटीकृत आविष्कार के बारे में अनन्य अधिकार प्राप्त होता है लेकिन यह अधिकार अबाधित नहीं है। यदि पेटेंटी द्वारा उसे प्राप्त अनन्य अधिकार का दुरूपयोग किया जाता है या आविष्कार के बारे में कार्य नहीं किया जाता है तो पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पेटेंटीकृत आविष्कार के बारे में किसी अन्य को अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने या ऐसे पेटेंट को प्रतिसंहृत किये जाने का प्रावधान है।

पेटेंट अधिनियम की धारा 84 उन मामलों में जहां पेटेंटीकृत आविष्कार के बारे में जनता की युक्तियुक्त अपेक्षायें सन्तुष्ट नहीं हुई है; या पेटेंटीकृत आविष्कार युक्तियुक्त तौर पर वहन करने योग्य मूल्य पर जनता को उपलब्ध नहीं है; या पेटेंटीकृत आविष्कार भारत राज्य क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, पेटेंटीकृत आविष्कार के अनिवार्य अनुज्ञापन का प्रावधान करती है। सर्वप्रथम अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति को पेटेंटीकृत आविष्कार के बारे में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये युक्तियुक्त शर्तों पर पेटेंटी से अनुज्ञप्ति हेतु प्रयास करना चाहिये और यदि वह युक्तियुक्त अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह नियन्त्रक के समक्ष अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्र किये जाने के लिये आवेदन कर सकता है। इस प्रयोजन के लिये युक्तियुक्त अवधि सामान्यतः 6 माह निर्धारित की गयी है।

अधिनियम की धारा 84 यह उपबंध करती है कि पेटेंट अनुदत्र किए जाने की तिथि से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् किसी समय कोई इच्छुक व्यक्ति नियंत्रक के समक्ष पेटेंट के अनिवार्य अनुज्ञप्ति किये जाने के बारे में निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि –
(क) पेटेंटीकृत आविष्कार की बाबत जन साधारण की युक्तियुक्त अपेक्षाओं का समाधान नहीं किया गया है, या
(ख) पेटेंटीकृत आविष्कार जनसाधारण को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है, या
(ग) पेटेंटीकृत आविष्कार पर भारत के राज्य क्षेत्र में काम नहीं हुआ है।

इस आधार के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति, जो पहले से ही पेटेंट के अनुज्ञप्तिधारक हैं, द्वारा अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को इस बात का अभिकथन करने से रोका नहीं जा सकता है कि पेटेंटीकृत आविष्कार सार्वजनिक रूप से उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है या पेटेंटीकृत आविष्कार की बाबत भारत के राज्य क्षेत्र में काम नहीं किया गया है।

अनज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार पेटेंटीकृत आविष्कार का उपयोग करने के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी को अतिलंघन के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित करने का भी अधिकार होता है।

धारा 84 की की उपधारा (6) के अन्तर्गत अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिये दाखिल किये गये आवेदन पर विचार के दौरान नियंत्रक द्वारा निम्र बातों पर विचार किया जाता है–

(i) आविष्कार की प्रकृति, पेटेंट के मुद्रांकन के बाद से बीत चुका समय, और पेटेंटी या किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आविष्कार का पूर्ण उपयोग किये जाने के बारे में पहले किये गये उपाय;

(ii) सार्वजनिक फायदे के लिये आविष्कार का उपयोग करने की आवेदक की योग्यता;

(iii) आवेदन स्वीकार कर लिये जाने पर आविष्कार का उपयोग करने और पूंजी जुटाने में जोखिम उठाने की आवेदक की क्षमता;

(iv) क्या आवेदक ने पेटेंटी से युक्तियुक्त निबंधन और शर्तों पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रयास किया है और युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसा प्रयास असफल रहा है।

निम्नलिखित दशाओं में यह समझा जाता है कि पेटेंटी ने आविष्कार के बारे में जनसाधारण की युक्तियुक्त अपेक्षओं का समाधान नहीं किया हैं–

(क) यदि पेटेंटी द्वारा युक्तियुक्त निबंधन पर अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्तियॉ अनुदत्र करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप–

(i) किसी विद्यमान व्यवसाय या उद्योग या उसके विकास पर या भारत में किसी नये व्यवसाय या उद्योग की स्थापना पर या भारत में व्यवसाय या उद्योग पर या भारत में व्यापार करने वाले या निर्माण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; या

(ii) पेटेंटीकृत वस्तु की युक्तियुक्त निबंधन पर या पर्याप्त मात्रा में मांग पूरी नहीं की गई है; या

(iii) भारत में विनिर्मित पेटेंटीकृत वस्तु का निर्यात करने के लिये बाजार में आपूर्ति नहीं की गई है या बाजार की विकास नहीं किया गया है; या

(iv) भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों की स्थापना एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; या

(ख) पेटेंट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदान पर पेटेंटी द्वारा पेटेंटीकृत वस्तु या प्रक्रिया के खरीद,भाड़ा (hire) या उपयोग पर अधिरोपित शर्तों के कारण वस्तुओं का विनिर्माण, उपयोग या विक्रय पेटेंट द्वारा संरक्षित नहीं है या भारत में किसी व्यवसाय या उद्योग की स्थापना या विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; या

(ग) यदि पेटेंटी द्वारा पेटेंट के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति अनुदत्र करते समय पेटेंट की वैधता को चुनौती देने से निवारित करने या प्रपीड़क पैकेज अनुज्ञापन (Coervie package licensing) आदि से सम्बन्धित अनुचित शर्तं अधिरोपित की जाती है; या

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में पेटेंटीकृत आविष्कार का वाणिज्यिक पैमाने पर पर्याप्त विस्तार या पूर्णतम मात्रा में काम नहीं लिया जा रहा है;

(ड) पेटेंटीकृत वस्तु का बाहर से आयात करते हुये भारत में पेटेंटीकृत आविष्कार के वाणिज्यिक पैमाने पर कामकाज को पेटेंटी या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा निवारित किया गया है, या बाधा पहुंचाई गई है।

अनिवार्य अनुज्ञप्तियॉ के निबंधन और शर्तें
(Terms and conditions of Compulsory Licences)

अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्तं तय करते समय नियंत्रक द्वारा निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है–

(i) कि पेटेंटी या पेटेंट का फायदा पाने के हकदार अन्य व्यक्ति के लिये आरक्षित स्वामिस्व (royalty) या अन्य पारिश्रिमिक, यदि कोई है, आविष्कार की प्रकृति, आविष्कार को बनाने और विकसित करने, पेटेंट प्राप्त करने और इसे प्रवृत्त रखने तथा अन्य सुसंगत बातों के लिये पेटेंटी द्वारा उपगत व्यय को ध्यान में रखते हुये युक्तियुक्त है;

(ii) कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उचित लाभ के साथ पेटेंटीकृत आविष्कार का पूर्णतम मात्रा में परिचालन किया जा रहा है;

(iii) कि पेटेंटीकृत वस्तु जनसाधारण को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है;

(iv) कि अनुदत्र अनुज्ञप्ति अनन्य अनुज्ञप्ति नहीं है;

(v) कि अनुज्ञप्तिधारी का अधिकार समनुदेशनीय नहीं है;

(vi) कि अनुज्ञप्ति पेटेंट की बाकी बची अवधि के लिये है जब तक कि लघुतर अवधि लोकहित में संगत न हो;

(vii) कि अनुज्ञप्ति भारतीय बाजारों में आपूर्ति करने के मुख्य प्रयोजन से अनुदत्र की गई है और अनुज्ञप्तिधारी पेटेंटीकृत उत्पाद का निर्यात भी कर सकता है और अर्धचालक तकनीकी (semiconduction technology) की दशा में अनुज्ञप्ति आविष्कार का सार्वजनिक गैर–वाणिज्यिक उपयोग करने के लिये अनुदत्र की गई है।

नियन्त्रक द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति नहीं प्रदान की जाती है जिसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पेटेंटकृत वस्तु या पेटेंटकृत प्रक्रिया से निर्मित वस्तु या पदार्थ का भारत के बाहर से आयात करने के लिये प्राधिकृत हो सके। जहां पर ऐसी वस्तुओं का आयात बिना प्राधिकार या अनुज्ञप्ति से किया जाता है तो इसे पेटेंटी के अधिकारों का अतिलंघन माना जाता है।

पेटेंटी के दायित्व
(Obligation of Patentee)

पेटेंटी के दायित्व (Obligation of patentee) पेटेंट द्वारा पेटेंटी को आविष्कार के उपयोग के बारे में केवल एकाधिकार और विशेषधिकार प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि कुछ दायित्व और कर्तव्य भी प्राप्त होते है, जो निम्नवत् हैं–

(1) पेटेंटी का प्राथमिक दायित्व पेटेंटीकृत आविष्कार के उचित रूप से उपयोग को बढ़ावा देना और लोकहित के विरूद्ध प्रयोग न किए जाने को सुनिश्चित करना है।

(2) पेटेंटी का दूसरा दायित्व अधिनियम द्वारा विहित नवीकरण शुल्क का समय से भुगतान करना होता है यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पेटेंट की निरन्तरता भंग हो सकती है। और पेटेंटी समाप्त हो सकती है।

(3) पेटेंटी का तीसरा दायित्व नियन्त्रक या केन्द्रीय सरकार को पेटेंट की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है।

उल्लेखनीय है अधिनियम की धारा 122 उपबन्ध करती है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार या नियन्त्रक को जानकारी देने में इन्कार किया जाता है, या वह व्यक्ति जानकारी देने में असफल रहता है, तो उसे दस लाख रूपय के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। उसी प्रकार पेटेंटी का 000000000000000000

पेटेंट अधिकारों का अन्तरण
(TRANSFER OF PATENT RIGHTS)

पेटेंट एक बौद्धिक सम्पदा है जिसे मूर्त सम्पत्तियों–चल एवं अचल–के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। पेटेंट निजि सम्पत्ति का अधिकार है और इसी रूप में इसका प्रयोग होता है। पेटेंट में की सम्पदा विशुद्ध रूप से विधि का सृजन है इसलिये पेटेंट में निहित अधिकारों के अन्तरण से सम्बन्धित नियम विधि द्वारा निर्धारिति किये जाते है। निजी सम्पत्ति की भांति पेटेंट अधिकारों का व्यवहार समनुदेशन, बंधक, अनुज्ञप्ति या अन्य प्रकार से किया जा सकता है पेटेंट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत ऐसे सभी व्यवहारों के बारे में मूल नियमों की संहिता प्रावधान किया गया है। मूल पेटेंटी द्वारा पेटेंट अधिकारों का अन्तरण किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशन या विधि की क्रिया से किया जा सकता है। पेटेंटी आविष्कार का उपयोग करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञप्ति भी प्रदान कर सकता है।

जहां पेटेंट दो य अधिक व्यक्तियों को अनुदत्त किया जाता है, पत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति पेटेंट में समान अंश के लिये अधिकृत होता है। एक सह–स्वामी द्वारा पेटेंट में अपने अंश का अन्तरण अन्य सह–स्वामी या सह–स्वामियों की सम्मति के बिना किसी व्यक्ति को समनुदेशित या अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है।

पेटेंट अधिकारों के अन्तरण का ढंग
(Modes of Transfer of Patent rights)

पेटेंट अधिकारों का अन्तरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है–

(1) समनुदेशन (Assignment)

(2) अनुज्ञप्ति (Licence)

(3) पारेषण (Transmission)

(1) समनुदेशन (Assignment)

पेटेंट एक बौद्धिक सम्पदा एवं निजी सम्पत्ति का अधिकार है। पेटेंटी द्वारा इस सम्पदा में निहित सभी अधिकारों या हितों का अन्तरण समनुदेशन कहलाता है। पेटेंट अधिकारों का समनुदेशन करार (Agreement) द्वारा

किया जाता है, समनुदेशन पूर्ण रूप से या इसके किसी भाग का सम्पूर्ण भारत के लिए या इसके किसी भाग के लिए किया जा सकता है।

जो पेटेंट अधिकारों का समनुदेशन करता है, उसे समनुदेशन (Assigny)

कहते है, और जिस व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन किया जाता है, उसे समनुदेशिती कहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति जिसके पक्ष में समनुदेशन किया गया है, की मृत्यु हो जाती है, तो ''समनुदेशिता'' शब्द के अन्तर्गत उसका विधिक प्रतिनिधि आता है, जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक प्रतिनिधि होता हैं। जहां समनुदेशन में दो या दो से अधिक समनुदेशिती होते है, वे सभी पेटेंट के सहस्वामी होते हैं।

समनुदेशन के प्रकार (Kinds of Assignment)– समनुदेशन निम्न प्रकार का होता है–

(क) विधिक समनुदेशन (Legal assignment)

(ख) साम्यिक समनुदेशन(Equitable assignment)

(ग) बन्धक (Mortgage)

(क) विधिक समनुदेशन
(Legal Assignment)

जब एक विद्यमान पेटेंट का समनुदेशन करार द्वारा, लिखित एवं पंजीकृत दस्तावेज के रूप में होता है, तो इसे विधिक समनुदेशन कहते है।

उदाहरणार्थ–**'अ'** एक पेटेंटी अपने–आविष्कृत मशीन, जो सफ्टवेयर उद्योग के लिए उपयोगी है का 'ब' के पक्ष में एक करार द्वारा लिखित और सम्यकरूपेण पंजीकृत, समनुदेशन करता है। **'ब'** का नाम पेटेंट कार्यालय में रखे रजिस्टर में दर्ज होने के पश्चात् **'ब'** पेटेंट का स्वत्वधारी हो जाता है।

(ख) साम्यिक समनुदेशन
(Equitable Assignment)

जब पेटेंटी किसी दस्तावेज, जैसे– पत्र द्वारा पेटेंट का कुछ अंश तत्काल प्रभाव से किसी अन्य को देने के लिए सहभत होता है, तो इसे साम्यिक समनुदेशन कहा जाता है।

उदाहरणार्थ– **'अ'** एक पेटेंटी **'ब'** को पत्र लिखता है, जिसके द्वारा वह **'ब'** को आविष्कार का उत्तर प्रदेश राज्य में निर्माण और विक्रय करने के अधिकार को समनुदशित करता है। यहॉ **'अ'** ने साम्यिक समनुदेशन के द्वारा अपने साम्पत्तिक अधिकारों को पत्र में कथित सीमा के विस्तार तक अन्तरित कर दिया है।

(ग) बंधक
(Mortgage)

बंधक का तात्पर्य किसी निर्दिष्ट सम्पत्ति में किसी हित का अन्तरण है, यह एक प्रतिभूति के रूप में किया जाता है। इसका बंधक द्वारा पेटेंट अधिकारों को बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को अन्तरित किया जाता है। जिस लिखत द्वारा पेटेंट अधिकारों का अन्तरण किया जाता है, बंधक विलेख कहलाता है।

नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया नई दिल्ली बनाम देहली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं AIR 1980 दिल्ली 132 के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 68 के अनुसार पेटेंट का समनुदेशन वैध होने के लिए आवश्यक है कि यह लिखत और नियन्त्रक के कार्यालय द्वारा पंजीकृत है। पक्षकारों के मध्य करार दस्तावेज के रूप में अभिलिखित हों, जिसमें उनके अधिकारों एवं बाध्यताओं को विनियमित करने वाले निबन्धन एवं शर्तें अन्तर्विष्ट होनी चाहिए।

(2) अनुज्ञप्ति
(Licence)

पेटेंटी किसी अन्य को आविष्कार के निर्माण, उपयोग या प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति द्वारा अनुमत कर सकता है, अनुज्ञप्ति की वैधता उसके लिखत और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियन्त्रक द्वारा पंजीकृत होने पर निर्भर करती हैं। अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन संविदा (Licensing Contract) के माध्यम से होती है। जिसमें अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के बीच करार के समस्त निबन्धन एवं शर्तां का समावेश होता हैं।

अनुज्ञप्तियों के प्रकार (Kinds of licence)– अनुज्ञप्तियॉ निम्नलिखित प्रकार की होती है–

(क) स्वेच्छिक अनुज्ञप्ति
(Voluntary Licence)

स्वैच्छिक अनुज्ञप्ति पेटेंट के स्वामी द्वारा अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को पेटेंटीकृत वस्तु को अनुज्ञापन संविदा में उपबन्धित निबन्धन और शर्तों पर विहित तरीके से निर्माण उपयोग, विक्रय का लिखित अधिकार के रूप में अनुदान है। इस अनुज्ञप्ति में निबन्धन और शर्ते पेटेंटी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित की जाती है। इस अनुज्ञप्ति अनुदत्र किये जाने में नियन्त्रक या सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए इसे स्वैच्छिक अनुज्ञप्ति कहती है।

(ख) वैधानिक अनुज्ञप्ति
(Statutory Licence)

पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुदत्त की जाती है। वैधानिक अनुज्ञापन में नियन्त्रक और केन्द्रीय सरकार की विशेष भूमिका होती है।

(ग) अनन्य अनुज्ञप्ति
(Exclusive Licence)

अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अधिकारों की मात्रा और विस्तार के आधार पर अनुज्ञप्ति अनन्य या सीमित हो सकती है। अनन्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत पेटेंटी अपने आविष्कार के निर्माण, उपयोग, वितरण और विक्रया से सम्बन्धित सभी अनन्य अधिकार अनुज्ञप्तिधारी,, न कि किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करती है।

(घ) सीमित अनुज्ञप्ति
(Limited Licence)

सीमित अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों पर कुछ सीमाएॅ अधिरोपित होती है। ये सीमाएॅ व्यक्ति, समय, विनिर्माण एवं विक्रय के स्थान से सम्बन्धित हो सकती है।

उदाहरणार्थ– **'अ' , 'ब'** को पेटेंटीकृत वस्तु के विनिर्माण की अनुज्ञप्ति प्रदान करता है और **'ख'** को केवल उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में उस वस्तु को बेचने की अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। यहॉ पर **'ब'** और 'स' दोनों को सीमित अनुज्ञप्ति, प्राप्त होती है।

(ङ) अभिव्यक्त और विवक्षित अनुज्ञप्ति
(Express and Implied Licence)

अभिव्यक्त अनुज्ञप्ति वह होती है, जिसमें पेटेंट का उपयोग करने की अनुमति अभिव्यक्त निबन्धन में दी जाती है। यह तब तक वैध नहीं होती, जब तक कि अनुज्ञप्ति निबन्धन और शर्तों को सम्मिलित करते हुए दस्तावेज के रूप में लिखित और पेटेंट कार्यालय में पंजीकृत न हो।

विवक्षित अनुज्ञप्ति अभिव्यक्त निबन्धन पर आधारित न होकर परिस्थियों से विवक्षत होती है।

(3) पारेषण
(Transmission)

जब पेटेंटी की मृत्यु हो जाती है, या वह दिवालिया हो जाता है, या कम्पनी की दशा में यदि उसका विघटन हो जाता है, तो पेटेंट में पेटेंटी का हित उसके विधिक प्रतिनिधि को संक्रान्त हो जाता है या कम्पनी का विघटन हो जाने पर उसी प्रकार संक्रान्त होता है, जैसा अन्य सम्पत्तियों के मामले में होता है।

यदि जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाएँ पूर्ण नहीं होती है, तो अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा पेटेंट का अधिग्रहण किया जा सकता है।

अनुज्ञापन संविदा
(Licensing Contract)

अनुज्ञापन न सिर्फ अनुज्ञप्तिदाता बल्कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी धन कमाने या अर्जित करने का महत्वपूर्ण एवं लाभदायक तरीका होता है, इसलिये दोनों पक्षकारों के पारस्परिक लाभों को ध्यान में रखते हुये अनुज्ञापन संविदा का प्रारूपण निम्नलिखित बिन्दुओं पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक होता है–

(1) पक्षकारों की पहचान
(Identification of parties)

अनुज्ञापन संविदा के अन्तर्गत सभी पक्षकारों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, का यथासम्भव ठीक–ठीक पहचान स्थापित की जानी चाहिए। पक्षकारों की पहचान उन परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो जाती है, जहॉ पर प्रत्येक ओर से अधिक व्यक्ति होते हैं।

(2) अनुज्ञप्ति की विषय–वस्तु
(Subject-matter of licence)

अनुज्ञप्ति का विषय–वस्तु पेटेंट होता है, इसलिये अनुज्ञापन संविदा के अन्तर्गत एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को उपयोग, विनिर्माण आदि के लिये अन्तरित की जाने वाली बौद्धिक सम्पदा (पेटेंट) की पहचान के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये।

(3) व्यवहार ज्ञान
(Know-how)

अनुज्ञात पेटेंट पर सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी को व्यवहार ज्ञान की भी आवश्यकता है, जिसके अभाव में वह अपने आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिये संविदा के अन्तर्गत व्यवहार–ज्ञान की जानकारी के सम्बन्ध में पर्याप्त एवं उचित प्रावधानों का समावेश किया जाना आवश्यक होता है। व्यवहार–ज्ञान एक मूल्यवान आस्ति (valuable asset) होती है जो एक व्यक्ति द्वारा अनुसंधान एवं विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के दौरान औद्योगिक तथा व्यावसायिक तकनीकों के उपयोजन द्वारा अर्जित एवं विकसित की जाती है। यह स्वतंत्र अनुज्ञापन की विषय–वस्तु होती है। व्यवहार–ज्ञान को आंकड़ों, अनुभव और कौशल से उत्पन्न ज्ञान के रूप में सुसंगत प्रलेखीकरण (documentation) के निबंधनो के अनुसार पहचाना जा सकता है। व्यवहार–ज्ञान के अन्तर्गत संयंत्र अभिन्यास (plant layout) के आरेख (diagrams), ब्लू प्रिंट या रेखाचित्र (drawings), मशीनों के संचालन के लिये तैयार की गई निर्देशिकायें या अनुदेश, अवयवों का समन्वायोजन (assembly of components), कच्चे माल का विशेष विवरण, श्रम और मशीनकाल की गणना, पैकेजिंग और भंडारकरण हिदायतें आदि आते हैं। यहॉ पर मशीनकाल का तात्पर्य मशीन पर काम को पूर्णरूप से तैयार करने में लगे समय से होता है।

(4) अनुज्ञप्ति की प्रकृति और क्षेत्र
(Nature and scope of licence)

अनुज्ञप्ति की प्रकृति और क्षेत्र अनुज्ञापन संविदा का सार्वधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। संविदा के अन्तर्गत उन तरीकों का स्पष्ट रूप से वर्णन होना चाहिये, जिनके आधार पर पेटेंट का उपयोग या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक दोहन किया जाना है। अनुज्ञप्ति की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में विचारणीय तथ्य निम्नलिखित हैं–

(i) जहां पर अनुज्ञप्ति की विषय–वस्तु ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में किया जा सकता है तो संविदा द्वारा ऐसे क्रियाकलापों के क्षेत्र को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

(ii) व्यवहार–ज्ञान की दशा में जहां एकल व्यवहार–ज्ञान का उपयोग विभिन्न औद्योगिक क्षेंत्रों में किया जा सकता है तो संविदा द्वारा उत्पादन एवं विक्रय के बारे में अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारों एवं दायित्वों को उचित एवं स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिये।

(iii) भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें अनुज्ञप्त पेटेंट या इससे सम्बन्धित तकनीक का उपयोग किया जाना है, का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाना चाहिये।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी को निर्यात का अधिकार होगा या नहीं, संविदा में इसकी विवेचना होनी चाहिये।

(5) गोपनीय
(Confidentiality)

अनुज्ञप्तिदाता के दृष्टिकोण से अनुज्ञापन संविदा के अन्तर्गत गोपनीयता से सम्बन्धित खण्ड (Clause) अन्तर्विष्ट होना चाहिये। जहां अनुज्ञप्ति की विषय–वस्तु मात्र पेटेंट है गोपनीयता से सम्बन्धित खण्ड का उल्लेख आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि पेटेंट जनसाधारण को पहले से ही प्रकट होता है। लेकिन व्यवहार ज्ञान की दशा में अनुज्ञप्तिदाता द्वारा व्यवहार–ज्ञान को गुप्त रखा जाता है। अनुज्ञप्तिदाता अपनी अनुसंधान प्रयोगशाला में विकसित तकनीक को बेचने के उद्देश्य से व्यवहार–ज्ञान के बारे में गोपनीय आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। संविदा में उन निबंधनों और शर्तों का उल्लेख होना चाहिये, जिनके अनुसार अनुज्ञप्त तकनीक को उपयोग में लाया जा सकता है ताकि वह तकनीक जनसाधारण को प्रकट न हो सके।

(6) पारिश्रमिक
(Remuneration)

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का आर्थिक महत्व होता है जिसके लिये उन्हें वैधानिक तौर पर मान्यता एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुज्ञप्त किये जाने वाले पेटेंट के लिये पारिश्रमिक का निर्धारण अत्यन्त कठिन विषय होता है। पारिश्रमिक का निर्धारण करते समय पक्षकारों द्वारा कई तत्वों, यथा–भावी अनुज्ञप्तिधारी के लिये पेटेंट की आवश्यकता और मूल्य, उपलब्ध वैकल्पिक तकनीक, तैयार किये जाने वाले उत्पाद की मांग और उनकी गुणवत्ता और अनुज्ञाप्तिधारी को प्राप्त होने वाले वाणिज्यिक एवं आर्थिक लाभों पर अनुज्ञप्तिदाता द्वारा विचार किया जाता है, इसी प्रकार अनुज्ञप्तिधारी भी संविदा की अवधि के दौरान प्राप्त होने वाले लाभों और पेटेंट की उपयोगिता आदि के बारे में विचार करता है।

पेटेंट का प्रतिसंहरण एवं अभ्यर्पण
(REVOCATION AND SURRENDER OF PATENTS)

यद्यपि पेटेंटी आविष्कार के निर्माण, उपयोग या विक्रय आदि का अनन्य अधिकार रखता है फिर भी अनुदान के रूप में पेटेंट की वैधता गारण्टीकृत नही होती है। यह पेटेंट विधि का मूलभूत नियम है। पेटेंट प्रथम और वास्तविक आविष्कारक को उसके द्वारा सृजित कुछ नवीन, उपयोगी और जनसाधारण या समाज के लिये लाभकारी आविष्कार के लिये पुरस्कार के रूप में प्रदत्त सीमित एकाधिकार होता हैं। पेटेंट प्रदान किये जाने से पूर्व आविष्कारक की पहचान, आविष्कार की नवीनता और उपयोगिता तथा पूर्ण विनिर्देश में वर्णित दावों के प्रकटीकरण आदि के बारे में अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये पेटेंट कार्यालय द्वारा निर्धारण किया जाता है। पेटेंट अनुदत्त किये जाने के पश्चात् भी उपर्युक्त बिन्दु प्रश्नगत हो सकते है। यदि पेटेंटी एकाधिकार अनुदत्त किये जाने के बारे में अधिनियम के अधीन निर्धारित शर्तों पर खरा नहीं उतरता है तो

जनसाधारण को पेटेंट की वैधता को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया गया है। पेटेंट अधिनियम के अन्तर्गत कुछ उन दशाओं का उल्लेख किया गया है जबकि पेटेंट को प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

पेटेंट के प्रतिसंहरण के तरीके
(Modes of Revocation)

पेटेंट अधिनियम 1970 के अधीन कुछ ऐसी दशाएँ है, जिनसे पेटेंट को प्रतिसंहृत किया जा सकता है जो निम्नलिखित है–

(1) लोकहित में पेटेंट का प्रतिसंहरण –

अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में पेटेंट या पेटेंट का उपयोग राज्य के लिए हानिकर है, या लोकहित के अनुकूल नहीं है, तो पेटेंटी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में घोषणा द्वारा पेटेंट को प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

(2) परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित पेटेंट का प्रतिसंहरण–

अधिनियम की धारा 65 के अनुसार, जब पेटेंट अनुदत्त किए जाने के पश्चात् किसी समय केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि पेटेंट परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित ऐसे आविष्कार के बारे में है, जिसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेटेंट अनुदत्त नहीं किया जा सकता है तो वह नियन्त्रक को पेटेंट को प्रतिसंहृत करने के लिए निर्देश दे सकती है, तदुपरान्त नियन्त्रक पेटेंट या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में हितबद्ध के रूप में दर्ज है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पेटेंट को प्रतिसंहृत कर सकता है।

(3) कामकाज बन्द कर देने पर प्रतिसंहरण–

यदि पेटेंटी द्वारा पेटेंटीकृत आविष्कार का उपयोग नहीं किया जाता है या पेटेंटीकृत आविष्कार जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होता है, तो केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर नियन्त्रक अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत पेटेंट को प्रतिसंहृत कर सकता है।

(4) उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिसंहरण–

अधिनियम की धारा 64 के अनुसार–अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व या पश्चात् अनुदत्त पेटेंट किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा याचिका दाखिल किये जाने पर अपील बोर्ड या पेटेंट के अतिलंघन के लिए वाद में प्रतिदावा किया जाने पर उच्च न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर पेटेंट को प्रतिसंहृत कर सकता हैं।

(क) यह कि आविष्कार, जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत है, भारत में अनुदत्त अन्य पेटेंट के पूर्ण विनिर्देश में अन्तर्विष्ट पूर्णता तिथि पर पहले ही वैध दावा किया गया था।
(ख) यह कि पेटेंट ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन पर अनुदत्त किया गया है, जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अधिकृत नहीं है।
(ग) यह कि पेटेंट याची या किसी व्यक्ति, जिसके अधीन या द्वारा वह दावा करता है, के अधिकारों के उल्लंघन में दोषपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है।
(घ) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे का विषय अधिनियम के अर्थ में आविष्कार नहीं है।
(ङ) यह कि आविष्कार के पूर्ण विनिर्देश का कोई दावा जहां तक दावाकृत है, नवीन है, सार्वजनिक रूप से ज्ञात है या दावे की पूर्वता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जा चुका है या भारत में या अन्यत्र धारा 13 में वर्णित किसी दस्तावेज में प्रकाशित है।

(च) यह कि आविष्कार, जहॉ तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत है प्रकट है और इसमें कोई आविष्कारक शील उपाय सम्मिलित नहीं है। यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात है या भारत में इसका सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया गया है, या दावे की पूर्वता तिथि से पहले भारत में या अन्यत्र प्रकाशित किया जा चुका है।

(छ) यह कि आविष्कार जिसका पूर्ण विनिर्देश में दावा किया गया है, उपयोगी नहीं है।

(ज) यह कि पूर्ण विनिर्देश स्पष्टताः और पर्याप्त रूप से आविष्कारक और इसके सम्पादन करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। आविष्कारक की कार्यप्रणाली के लिए निर्देशों या तरीकों का वर्णन जैसा कि पूर्ण विनिर्देश में वर्णित है स्वतः भारत में किसी व्यक्ति जो औसत कौशल रखता है, के लिए पर्याप्त नहीं है, पूर्ण विनिर्देश आविष्कार के सम्पादन के लिए सर्वोतम तरीके का उल्लेख नहीं करता है।

(झ) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे के कार्यक्षेत्र को पर्याप्त परिभाषित नहीं किया गया है।

(ञ) यह कि पेटेंट मिथ्या व्यपदेशन या प्रतिनिधित्व के आधार पर प्राप्त किया गया है।

(ट) यह कि पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे की विषय–वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पेटेंट योग्य नहीं है।

(ठ) यह कि पूर्ण आविष्कार जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावाकृत है, का भारत में दावे की पूर्णता तिथि से पहले गोपनीय तरीके से उपयोग किया गया है, इस उपखण्ड के अन्तर्गत आविष्कार के निम्नलिखित उपयोग पर विचार नहीं किया जाता है–

(i) युक्तियुक्त परीक्षण या प्रयोग मात्र के प्रयोजन के लिए उपयोग,

(ii) सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या सरकारी उपक्रम द्वारा उपयोग,

(iii) पेटेंट के आवेदक या किसी व्यक्ति, जिससे वह स्वामित्व प्राप्त करता है, द्वारा आविष्कार को संसूचित या प्रकट किए जाने के परिणामस्वरूप और आवेदक या अन्य व्यक्ति, जिससे वह स्वामित्व प्राप्त करता है, की सहमति के बिना या मौन स्वीकृति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आविष्कार का उपयोग।

(ड) यह कि नियन्त्रक को धारा 8 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना नहीं दी गई है या झूठी सूचना गई।

(ढ़) यह कि धारा 35 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा गोपनीयता के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है अथवा धारा 39 के प्रावधानों के प्रतिकूल भारत से बाहर पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है।

(ण) यह कि धारा 57 या धारा 58 के अन्तर्गत पूर्ण विनिर्देश में संसोधन के लिए मिथ्या इजाजत दी गई है।

(त) यह कि पूर्ण विनिर्देश में आविष्कार के लिए उपयोग किये जाने वाले जैविक सामिग्री को भौगोलिक उत्पत्ति स्रोत को प्रकट नहीं किया गया है या गलत रूप से उल्लेख किया गया है।

(थ) यह कि भारत में या अन्यत्र आविष्कार के बारे में जानकारी स्थानीय या देशी समाज में मौखिक या अन्यथा उपलब्ध है।

प्रतिसंहरण का हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किया जाना–प्रतिसंहरण केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) (न) के अनुसार ''हितबद्ध व्यक्ति'' से कोई व्यक्ति जो उसी क्षेत्र में जिससे आविष्कार सम्बन्धित है, लगा हुआ है या शोध का संप्रवर्तन कर रहा है, अभिप्रेत है।

अजय इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन बनाम शीरोकनावो ऑफ ड्बारिकी सिटी AIR 1983 दिल्ली 496 के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 64 के अर्थ में हितबद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति होता है, जिसका पेटेंट में प्रत्यक्ष, विद्यमान और सुनिश्चित वाणिज्यिक हित होता है और जो रजिस्टर पर जारी पेटेंट की निरन्तरता से अपकृत या प्रभावित होता है।

नारायण चन्द्र दास बनाम जॉली गुहाठाकुरता के वाद में महिलाओं के लिए 'हेड स्कार्फ कम नेक कवरिंग अपारेल' के लिए अनुदत्त पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 64 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया था। अपीलेट बोर्ड ने अभिनिर्धारित किया कि पेटेंटीकृत उत्पाद की एक टोपी, मफलर या स्कार्फ को साथ मिलाकर सिलाई की गई थी। यह ज्ञात घटकों यथा–टोपी और मफलर का सान्निध्य मात्र है और ऐसे आविष्कार पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (च) के अन्तर्गत पेटेंट योग्य नहीं है क्योकि इसमें नवीनता, अप्रकटता और आविष्कार संबंधी कार्रवाई का अभाव है। 0000

अधिकारिता

(Jurisdiction)

पेटेंट के प्रतिसंहरण से सम्बन्धित पिटीशन उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को प्रतिसंहरण के लिये पिटीशन ग्रहण करने की अधिकारिता प्राप्त होती है, बशर्ते पिटीशनर न्यायालय की अधिकारिता में हितबद्ध हो, अर्थात् उस अधिकारिता का निर्धारण पेटेंट कार्यालय की अवस्थिति या कारबार के स्थान पर पेटेंटी के निवास स्थान के आधार पर नहीं किया जाता है। अतिलंघन क लिये वाद में प्रतिसंहरण के लिये प्रतिदावा की सुनवाई करने की अधिकारिता उसी उच्च न्यायालय को होती है जिसकी अधिकारिता में वाद दाखिल किया गया है।

पेटेंट का अभ्यर्पण
(Surrender of Patent)

पेटेंट का अभ्यार्पण (Surrender of patent) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 63 के अनुसार–

(i) एक पेटेंटी किसी भी समय निर्धारित प्रारूप में नियन्त्रक को सूचना देकर पेटेंट का समर्पण का प्रस्ताव कर सकता है।

(ii) जब इस तरह का कोई प्रस्ताव किया जाता है, तो नियन्त्रक निर्धारित रीती से प्रस्ताव को प्रकाशित कर सकेगा तथा पेटेंटी से भिन्न अन्य सभी ऐसे व्यक्तियों को सुचित करेगा, जिनके नाम रजिस्टर में पेटेंट से हितबद्ध व्यक्ति के रूप में दर्ज है।

(iii) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति ऐसे प्रकाशन के पश्चात् निर्धारित अवधि के भीतर नियन्त्रक को समर्पण के विरोध की सूचना देगा और जहां पर इस तरह की सूचना नियन्त्रक को दी जाती है, तो नियन्त्रक पेटेंटी को सूचित करेगा।

(iv) यदि पेटेंटी तथा विरोधी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् नियन्त्रक सन्तुष्ट हो तो वह आदेशित रीती से समर्पण के प्रस्ताव को स्वीकार कर सकेगा और पेटेंट को रद्द कर सकेगा।

पेटेंट का अभ्यर्पण और पेटेंट का प्रतिसंहरण–अन्तर
(Surrender of Patent and Revocation of Patent-Distincion)

पेटेंट दो तरीके से निरस्त हो सकता है– प्रथम, पेटेंट के अभ्यर्पण द्वारा और पेटेंट के प्रतिसंहरण द्वारा। पेटेंट के अभ्यर्पण और पेटेंट के प्रतिसंहरण में अन्तर इस प्रकार है। पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रक्रिया स्वयं पेटेंटी द्वारा प्रारम्भ की जाती है। और वह स्वनिर्णय द्वारा पेटेंट का अभ्यर्पण करता है जबकि पेटेंट का प्रतिसंहरण पेटेंटी द्वारा कुछ निश्चित शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहने पर किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा याचिका दाखिल किये जाने पर अपील बोर्ड या पेटेंट के अतिलंघन के वाद में प्रतिदावा किये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 64 में वर्णित आधारों पर प्रतिसंहृत कराया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा लोकहित में भी पेटेंट को प्रतिसंहृत किया जा सकता है।

पेटेंट कार्यालय और नियन्त्रक
(Patent Office and Controller)

पेटेंट कार्यालय (Patent office) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (द) के अनुसार ''पेटेंट कार्यालय'' के धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक कार्यालय स्थापित किया गया है, जिसे पेटेंट कार्यालय कहा जाता है। केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पेटेंट कार्यालय के नाम को निर्दिष्ट करता है।

पेटेंट के पंजीकरण को सरल बनाने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार जैसा उचित समझे, पेटेंट कार्यालयों के शाखा कार्यालायों की स्थापना कर सकती है।

पेटेंट कार्यालय की एक मुद्रा होती है। (धारा 74(4))

भाग IV : पेटेन्ट अधिनियम, 1970

Part IV Patent Act, 1970

1. पेटेन्ट से आप क्या समझते हैं ? पेटेन्ट का उद्देश्य क्या है ? अथवा पेटेन्ट क्या है ?
   What do you understand by Patent ? What is the object of Patent ?

   or

   What is Patent ?
2. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 का एतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए।
   Discuss the Historical overview of the Patent Act, 1970.
3. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए–
   (क) अन्वेषण, (ख) अनुसंधानकारी कदम, (ग) पेटेन्ट,
   (घ) पेटेन्ट अभिकर्ता, (ड़) पेटेन्टी।
   Define following term under the patent Act, 1970
   (a) Invention, (b) Invention step, (c) Patent,
   (d) Patent Agent, (e) Patentee.
4. वे कौन से आविष्कार हैं, जिन्हें पेटेन्टीकृत नहीं किया जा सकता ?
   What are the inventions that may not be patented ?
5. पेटेन्ट के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
   Discuss the procedure for obtaining Patent.
6. विनिर्देश से आप क्या समझते हैं ? विनिर्देश के प्रकार एवं विषयवस्तु को भी समझाइए।
   What do you Understand from Specifications ? Also dicuss the kinds and contents of Specification.
7. पेटेन्टी के अधिकार की विवेचना कीजिए।
   Discuss the rights of a Patentee ?
8. पेटेन्ट अधिकार के अपवाद एवं सीमाएँ क्या हैं ?
   What are the limitations and exceptions of Patent rights ?
9. पेटेन्टी के दायित्व क्या हैं ?
   What are the obligations of a Patentee ?
10. पेटेन्ट अधिकारों के अन्तरण के ढंगो की विवेचना कीजिए।
    Discuss the Modes of Transfer of Patent Rights.
11. पेटेन्ट के प्रतिसंहरण के तरीके क्या हैं ?
    What are the modes of Revocation of Patent ?
12. एक पंजीकृत पेटेन्ट कब अभ्यार्पित हो सकता है ?
    When may a Registered Patent be Surrendered ?
13. पेटेन्ट अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रक की क्या शक्तियाँ है ?
    What are the powers of the controller under the provisions of the Patent Act, 1970 ?
14. ''पेटेन्ट कार्यालय'' पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
    Write short notes on “Patent office”.
15. पेटेन्ट के अतिलंघन से आप क्या समझते हैं ?
    What do you understand about infringement of patent ?
16. पेटेन्ट के अतिलंघन के वाद में, सबूत का भार किस पर होता है ?
    In asuit for Infringement of Patent, on whom the burden of proof lies ?
17. अतिलंघन न किए जाने के लिए उद्घोषणा के सम्बन्ध में न्यायालय की क्या शक्तियाँ है ?
    What are the Powers of the Court to make declaration as to non-Infringement ?
18. पेटेन्ट के अतिलंघन के वाद में बचाव के आधार क्या है ?
    What are the ground for defence in case of infringement of Patent ?
19. पेटेन्ट अभिकर्ता के क्या अधिकार होते हैं ?
    What are the Rights of Patent Agent ?

पेटेन्ट अधिनियम,1970
[Parent Act,1970]

1. पेटेन्ट अधिनियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य है,–

(a) अनुसंधान का प्रोत्साहित करना,

(b) आविष्कारकों को संरक्षण प्रदान करना,

(c) राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति में सहयोग करना,

(d) उपरोक्त सभी,

2. पेटेन्ट के लिए आवेदन करने के लिए अधिकृत होते हैं–

(a) वास्तविक और प्रथम आविष्कार होने का दावा करने वाला व्यक्ति,

(b) केन्द्र सरकार,

(c) राज्य सरकार,

(d) पेटेन्ट विधि विशेषेज्ञ,

3. पेटेन्ट द्वारा निम्नलिखित में से किन अधिकारों का प्रयोग किया जाता हैं–

(a) पेटेन्ट के अभ्यपूर्ण का अधिकार,

(b) पेटेन्ट के समनुदेशन का अधिकार,

(c) वाद लाने का अधिकार,

(d) उपरोक्त सभी,

4. जब एक विद्यमान पेटेन्ट का समनुदेशन करार द्वारा लिखित एवं पंजीकृत दस्तावेज के रूप में होता है, तो इसे कहते हैं–

(a) विधिक समनुदेशन, (b) साम्यिक समनुदेशन,

(c) स्वैच्छिक समनुदेशन, (d) अनन्य समनुदेशन,

5. अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्र अधिकारों की मात्रा और विस्तार के आधार पर अनुज्ञप्ति होती है–

(a) वैधानिक अनुज्ञप्ति, (b) अनन्य अनुज्ञप्ति,

(c) स्वैच्छिक अनुज्ञप्ति, (d) साम्यिक अनुज्ञप्ति,

6. पेटेन्ट के अतिलंघन के वाद में निम्नलिखित में से क्या उपचार प्राप्त है,–

(a) व्यादेश, (b) क्षतिपूर्ति,

(c) लाभ–लेख (d) उपरोक्त सभी,

7. पेटेन्ट अभिकर्ता के रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है–

(a) वैज्ञनिक सलाहकार द्वारा, (b) नियन्त्रक द्वारा,

(c) अध्यक्ष, (d) उपाध्यक्ष

8. पेटेन्ट अभिकर्ता रजिस्टरसे किसी व्यक्ति का नाम हटाया जा सकता है–

(a) वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा (b) नियंत्रक द्वारा

(c) अध्यक्ष द्वारा (d) उपाध्यक्ष द्वारा

9. यदि कोई व्यक्ति पेटेन्ट अधिकारी का अनाधिकृत दावा करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा–

(a) एक लाख रूपये तक के जुर्माने (b) दस हजार रूपये तक के जुर्माने

(c) एक हजार तक के जुर्माने (d) एक सौ रूपये तक के जुर्माने

10. पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिये–

(a) 18 वर्ष (b) 21 वर्ष

(c) 25 वर्ष (d) 20 वर्ष